



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ सं०- 113283 / सी-7 / विवेक-657/2024

दिनांक:- 20/06/24

To,

The Registrar General,  
Principal Bench,  
Hon'ble National Green Tribunal,  
Copernicus Marg, New Delhi.

**Sub.: Regarding submission of Response / Report on behalf of Uttar Pradesh Pollution Control Board in compliance of order dated 15-01-2024 and 18-03-2024 passed by the Hon'ble National Green Tribunal in O.A. No. 793/2023 In re: News item appearing in Hindustan dated 07.12.2023 titled "गंगा यमुना पर भारी पड़ रहे आस्था के फूल, पॉलीथिन में भरकर पुलों से डाल रहे 25 किग्रा पॉलीथिन रोज".**

Sir,

In compliance of the direction passed by Hon'ble National Green Tribunal during hearing on 15-01-2024 and 18-03-2024 in the matter of O.A. No. 793/2023 In re: News item appearing in Hindustan dated 07.12.2023 titled "गंगा यमुना पर भारी पड़ रहे आस्था के फूल, पॉलीथिन में भरकर पुलों से डाल रहे 25 किग्रा पॉलीथिन रोज", the Response / Report on behalf of Uttar Pradesh Pollution Control Board is hereby attached with a request to put up before Hon'ble National Green Tribunal for kind perusal.

Yours Sincerely,

**Encl: As Above**

Chief Environment Officer  
Circle-7

**Response / Report on behalf of Uttar Pradesh Pollution Control Board in compliance of order dated 15-01-2024 and 18-03-2024 passed by the Hon'ble National Green Tribunal in O.A. No. 793/2023 In re: News item appearing in Hindustan dated 07.12.2023 titled**

**“गंगा यमुना पर भारी पड़ रहे आस्था के फूल, पॉलीथीन में भरकर पुलों से डाल रहे 25 किग्रा पॉलीथीन रोज”**

INDEX		
S.no	Content	Page No.
1	Response / Report UPPCB	1-4
2	Annexure No. 1	5-6
3	Annexure No. 2	7
4	Annexure No. 3	8-19
5	Annexure No. 4	20-55

**RESPONSE ON BEHALF OF THE UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD IN COMPLIANCE TO THE ORDER DATED 15.01.2024 AND 18.03.2024 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI IN O.A. NO. 793/2023 IN RE: NEWS ITEM APPEARING IN HINDUSTAN DATED 07.12.2023 TITLED "गंगा यमुना पर भारी पड़ रहे आस्था के फूल, पॉलीथीन में भरकर पुलों से डाल रहे 25 किग्रा पॉलीथीन रोज"**

1. That this Hon'ble NGT in O.A. No. 793/2023 In re: News item appearing in Hindustan dated 07.12.2023 titled "गंगा यमुना पर भारी पड़ रहे आस्था के फूल, पॉलीथीन में भरकर पुलों से डाल रहे 25 किग्रा पॉलीथीन रोज" vide its order dated 15.01.2024 has passed the following directions:

*"....1. This original application is registered suo-moto on the basis of the news item titled "गंगा यमुना पर भारी पड़ रहे आस्था के फूल, पॉलीथीन में भरकर पुलों से डाल रहे 25 किग्रा पॉलीथीन रोज" published in Hindustan paper dated 07.12.2023. The news item reflects that the flower and garlands offered in puja are packed in polythene bags and thrown in in the ghats of river Yamuna and Ganga, which is polluting the rivers. As per the news report though the action for cleaning the polythene bags is taken but the same is inadequate considering the quantum of polythene and the contents therein thrown in the river. News report reveals that the problem is very serious and the riverbeds are much worse than the condition prevailing in the oceans.*

*4. In the circumstances of the case, we deem it proper to implead the following as respondents:-*

*(1). Member Secretary, Delhi Pollution Control Committee (DPCC)*

*(2). Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB)*

*(3). Chairman, National Mission for Clean Ganga (NMCG)*

*5. Let notice be issued to the above respondents for filing their response/report atleast one week before the next date of hearing by email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF....."*

2. That further, this Hon'ble NGT vide its order dated 18.03.2024 has passed following directions:

*".....2. DPCC has filed the response but Learned Counsel for the DPCC has failed to point out the response in respect of the issue involved in the original*

*application. In this background, a prayer has been made on her behalf to file a fresh proper response confining to the issue involved in the original application. She seeks four weeks time to file a fresh response covering the issue.*

*3. In the same manner, response on behalf of UPPCB has been filed. Learned Counsel for UPPCB has sought four weeks time to file a fresh response.....”*

3. That in the present Original Application the grievance is that after performing pooja at home, people put flowers, garlands and idols in polythene bags and thrown into the rivers every day approx. 25 kg. Despite campaigns being run at many levels, polythene is being thrown into Ganga and Yamuna. Polythene can be seen flowing along with garbage in the flow of Ganga-Yamuna. It is sad that most people are throwing polythene in the name of faith and they do not even realize that they are becoming partners in polluting the river Triveni.
4. That in compliance to the order dated 15.01.2024 passed by this Hon'ble Tribunal the U.P. Pollution Control Board has filed its response on 12.03.2024 for the consideration. Further, In pursuance to the order dated 18.03.2024 passed by this Hon'ble Tribunal certain actions has been taken by the U.P. Pollution Control Board and the direction has also been issued under Section-5 of the Environment (Protection) Act, 1986 to the Directorate of Local Bodies vide its letter number No. G 43277/C-7/O.A.-793/23-24 dated 28-06-2024. The said directions are as under:
  - i. All the drains meeting into the rivers within the territory of the State should be cleaned regularly by installing bar-mesh and if the polythene/plastic is found, the collected polythene/plastic should be disposed through authorized recyclers.
  - ii. Strong action shall be taken to ensure that puja material, flowers and polythene bags should not be thrown into the rivers at the Ghats.
  - iii. The concerned Municipal Bodies should be directed to identify such hot-spots where flowers and puja material in polythene bags are thrown into the rivers and drains, if any person found doing so, action should be taken against such culprits in accordance with law.

- iv. A campaign should be organized for the removal of polythene/plastic from the river and after collecting the same shall be disposed through authorized recyclers.
- v. A public awareness campaign should also be organized in larger scale to ensure that no flowers or puja material and polythene be thrown in the rivers in question.
- vi. Further, the concern Municipal Bodies are also directed to ensure the compliance in respect of above directions and provide the monthly report to the U.P. Pollution Control Board.

A copy of the letter number No. G 43277/C-7/O.A.-793/23-24 dated 28-06-2024 is being annexed herewith as **Annexure No.-1**.

5. Furthermore, the U.P. Pollution Control Board has also issued the following directions to the Project Director, State Clean Ganga Mission under Section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 vide letter No. G 43278/C-7/O.A.-793/23-24 dated 28-06-2024:

*“Plastic polythene should be removed by running a campaign on the ghats of the rivers and thereafter, on collection of plastic, the collected plastic should be disposed of through authorized recyclers and public awareness campaign shall be organized in a larger scale to not thrown flowers or puja material and polythene in the rivers.”* A copy of the letter number G 43278/C-7/O.A.-793/23-24 dated 28-06-2024 is being annexed herewith as **Annexure No.-2**.

6. Further it is also pertinent to mention here that in the State of Uttar Pradesh the use, manufacturing, sale, distribution, storage, transport, import or export of all types of disposable plastic carry bags and one-time disposable cups, glasses, plates, spoons, tumblers made of plastic or thermocol are prohibited vide Notification No. 1056/9-7-18-29 (Lucknow)-2018, dated 15.07.2018 issued by the Urban Development Department, Government of Uttar Pradesh.

7. To stop the complete use of polythene/plastic in the State of Uttar Pradesh, the U.P. Pollution Control Board and concern Local Bodies have jointly conducted the awareness programs on regular basis. Further, in joint surprise invigilation about 68.79 tones of banned single-use plastic has been seized and a fine of Rs. 93.46 Lacs has imposed against the responsible Local Bodies. The details of awareness programs, fine imposed and quantity of seized single use plastic are being collectively annexed herewith as **Annexure No.-3**.
8. In the State of Uttar Pradesh under the schemes, i.e. Swachh Bharat Mission 1.0 and 2.0, the cleaning of Ghats, arrangement of screen on the over bridges as well as in drains are in process and the State is taking measures to stop the practice of throwing Polythene bags with garlands and pooja items into the river Ganga/Yamuna and its tributaries. The action taken by the State including awareness programs, wall slogans/paintings and nukkad natak. The details of the same are being annexed herewith as **Annexure No.4**.

Therefore, the response/report of the U.P. Pollution Control Board is being filed before this Hon'ble Tribunal for perusal and kind consideration.





उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
356  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ संख्या 643277/C-7/O.P.No-793/23-24

दिनांक 28.06.2024

सेवा में,  
निदेशक,  
स्थानीय निकाय निदेशालय,  
सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार,  
लखनऊ।

पंजीकृत

Annexure No. 1

विषय:-माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-793/2023 In re : News item appearing in Hindustan dated 07-12-2023 titled गंगा-यमुना पर भारी पड़ रहे आस्था के फूल, पॉलीथीन में भरकर पुलों से डाल रहे 25 किग्रा पॉलीथीन रोज" में पारित आदेश दिनांक 15.01.2024 एवं 18.03.2024 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-793/2023 In re : News item appearing in Hindustan dated 07-12-2023 titled गंगा-यमुना पर भारी पड़ रहे आस्था के फूल, पॉलीथीन में भरकर पुलों से डाल रहे 25 किग्रा पॉलीथीन रोज" में पारित आदेश दिनांक 15.01.2024 एवं 18.03.2024 (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करना चाहेंगे।

माननीय अधिकरण द्वारा उक्त ओ0ए0 सं0-793/2023 में पारित आदेशों के अनुपालन में राज्य के अन्तर्गत आच्छादित नदियों में फूलों एवं मूर्तियों को पॉलीथीन में भरकर फेंके जाने के रोकथाम हेतु राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं :-

1. यह कि प्रदेश के अन्तर्गत आच्छादित नदियों में जाने वाले समस्त नालों में बार-मेश स्थापित करते हुए उनके निरन्तर सफाई किये जाने एवं तत्पश्चात् प्लास्टिक प्राप्त होने पर प्राधिकृत रिसाइक्लर्स के माध्यम से उक्त प्लास्टिक का निस्तारण किया जाए।
2. यह कि पूजा घाट पर पूजा सामग्री एवं फूल, पॉलीथीन बैग को नदियों में न फेंके जाने हेतु प्रबल कार्यवाही की जाए।
3. यह कि संबंधित नगर निकाय अधिकारी को निर्देशित किया जाए कि अपने क्षेत्रान्तर्गत ऐसे हॉट-स्पॉट चिन्हित करें जहाँ से पॉलीथीन में फूल एवं पूजा सामग्री को नदी एवं नालों में प्रवाहित किया जाता है तथा ऐसा करते हुए पाये जाने पर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाए।
4. यह कि नदियों के घाटों पर अभियान चलाकर प्लास्टिक पॉलीथीन को निकाला जाना सुनिश्चित किया जाए एवं तत्पश्चात् प्लास्टिक प्राप्त होने पर प्राधिकृत रिसाइक्लर्स के माध्यम से उक्त प्लास्टिक का निस्तारण किया जाए।
5. यह कि प्रदेश में आच्छादित नदियों में पॉलीथीन से भरे हुए फूल अथवा पूजा सामग्री न फेंके जाने हेतु व्यापक स्तर पर जन-जागरूकता अभियान चलाया जाए।

उपरोक्त निर्देशों के अनुक्रम में अपने अधीन नगर निकायों को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने एवं कृत कार्यवाही की आख्या प्रत्येक माह राज्य बोर्ड को प्रेषित किये जाने

हेतु निर्देश जारी करने का कष्ट करें, अन्यथा की दशा में राज्य बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय अधिनियमों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु बाध्यकारी होगा।

संलग्नक:—उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(संजीव कुमार सिंह)  
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
2. समस्त क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इस निर्देश के साथ कि अपने क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित नदियों में फूलों, पूजन सामग्री एवं मूर्तियों से भरे पॉलीथीन बैग को फेंके जाने के संबंध में संबंधित नगर निकायों से संपर्क स्थापित कर उनके द्वारा की गयी प्रभावी कार्यवाही का सतत् अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें।

  
सदस्य सचिव



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
358  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ संख्या..... G/43278/C-7/O.A.N.O-793/23-24

दिनांक..... 28.06.2024

सेवा में,

परियोजना निदेशक,  
राज्य स्वच्छ गंगा मिशन,  
सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत

Annexure No. 2

**विषय:-माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-793/2023 In re : News item appearing in Hindustan dated 07-12-2023 titled गंगा-यमुना पर भारी पड़ रहे आस्था के फूल, पॉलीथीन में भरकर पुलों से डाल रहे 25 किग्रा पॉलीथीन रोज" में पारित आदेश दिनांक 15.01.2024 एवं 18.03.2024 के अनुपालन के संबंध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-793/2023 In re : News item appearing in Hindustan dated 07-12-2023 titled गंगा-यमुना पर भारी पड़ रहे आस्था के फूल, पॉलीथीन में भरकर पुलों से डाल रहे 25 किग्रा पॉलीथीन रोज" में पारित आदेश दिनांक 15.01.2024 एवं 18.03.2024 (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करना चाहेंगे।

माननीय अधिकरण द्वारा उक्त ओ0ए0 सं0-793/2023 में पारित आदेशों के अनुपालन में राज्य के अन्तर्गत आच्छादित नदियों में फूलों एवं मूर्तियों को पॉलीथीन में भरकर फेंके जाने के रोकथाम हेतु राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं :-

1. यह कि नदियों के घाटों पर अभियान चलाकर प्लास्टिक पॉलीथीन को निकाला जाना सुनिश्चित किया जाए एवं तत्पश्चात् प्लास्टिक प्राप्त होने पर प्राधिकृत रिसाइक्लर्स के माध्यम से उक्त प्लास्टिक का निस्तारण किया जाए।
2. यह कि प्रदेश में आच्छादित नदियों में पॉलीथीन से भरे हुए फूल अथवा पूजा सामग्री न फेंके जाने हेतु व्यापक स्तर पर जन-जागरूकता अभियान चलाया जाए।

उपरोक्त निर्देशों के अनुक्रम में अपने अधीन नगर निकायों को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने एवं कृत कार्यवाही की आख्या प्रत्येक माह राज्य बोर्ड को प्रेषित किये जाने हेतु निर्देश जारी करने का कष्ट करें, अन्यथा की दशा में राज्य बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय अधिनियमों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु बाध्यकारी होगा।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

  
(संजीव कुमार सिंह)  
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इस निर्देश के साथ कि अपने क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित नदियों में फूलों, पूजन सामग्री एवं मूर्तियों से भरे पॉलीथीन बैग को फेंके जाने के संबंध में संबंधित नगर निकायों से संपर्क स्थापित कर उनके द्वारा की गयी प्रभावी कार्यवाही का सतत् अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें।

सदस्य सचिव

Details of Awareness Program with Location, Date And Seized Amount of S.U.P.							
S.No.	Name of Reional office	Type of Awareness program rally/meeting/debate/ street play etc.)	Location and Date of Awareness program		Dates of carrying out prohibitory inspections	Total quantity of plastic seized and	
			Location	Date		seized	penalty
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Joint Drinve against SUP	NPP, Dhampur	24.02.2023	35	1.7	1700.00
2		Joint Drinve against SUP	NPP, Dhampur	14.03.2023	12	0.2	100.00
3		Joint Drinve against SUP	NPP, Dhampur	18.03.2023	27	0.5	800.00
4		Joint Drinve against SUP	NPP, Dhampur	22.03.2023	46	1.7	1000.00
5		Joint Drinve against SUP	NPP, Dhampur	24.03.2023	34	1.2	1000.00
6		Joint Drinve against SUP	NPP, Dhampur	27.03.2023	29	2.2	1300.00
7		Joint Drinve against SUP	NPP, Dhampur	03.04.2023	12	0.2	200.00
8		Joint Drinve against SUP	NPP, Dhampur	28.04.2023	24	2.1	1800.00
9		Joint Drinve against SUP	NPP, Dhampur	29.04.2023	14	0.7	100.00
10		Joint Drinve against SUP	NPP, Seohara	10.05.2023	18	0.45	0.00
11		Joint Drinve against SUP	NPP, Dhampur	10.05.2023	48	2.3	1750.00
12		Joint Drinve against SUP	NPP, Nagina	11.05.2023	17	2.2	1500.00
13		Joint Drinve against SUP	NPP, Jalalabad	15.05.2023	17	0.18	500.00
14		Joint Drinve against SUP	NPP, Nagina	19.05.2023	14	1.4	1200.00
15		Joint Drinve against SUP	NPP, Dhampur	24.05.2023	27	0.8	500.00
16		Joint Drinve against SUP	NPP, Jalalabad	26.05.2023	21	0.14	600.00
17		Joint Drinve against SUP	NPP, Haldaur	30-05-23	28	12.78	9500.00
18		Joint Drinve against SUP	NPP, Nagina	31-05-23	12	1.2	1000.00
19		Joint Drinve against SUP	NPP, Chandpur	02-06-23	16	0.4	200.00
20		Joint Drinve against SUP	NPP, Sahanpur	02-06-23	12	0.075	500.00
21		Joint Drinve against SUP	NPP, Mandwar	06-06-23	22	2.3	1500.00
22		Joint Drinve against SUP	NPP, Dhampur	06.06.2023	41	1.45	1200.00
23		Joint Drinve against SUP	NPP, Dhampur	09.06.2023	34	2.3	1800.00
24		Joint Drinve against SUP	NPP, Dhampur	13.06.2023	39	1.1	1300.00
25		Joint Drinve against SUP	NPP, Afzalgarh	13.06.2023	20	0.2	400.00
26		Joint Drinve against SUP	NPP, Dhampur	14.06.2023	19	0.9	600.00
27		Joint Drinve against SUP	NPP, Chandpur	14.06.2023	20	0.5	250.00
28		Joint Drinve against SUP	NPP, Afzalgarh	14.06.2023	15	0.19	500.00
29		Joint Drinve against SUP	NPP, Dhampur	15.06.2023	14	0.3	200.00
30		Joint Drinve against SUP	NPP, Nehtaur	16.06.2023	44	10	5500.00
31		Joint Drinve against SUP	NPP, Dhampur	16.06.2023	37	1.7	2200.00
32		Joint Drinve against SUP	NPP, Afzalgarh	17.06.2023	30	5.15	5000.00
33		Joint Drinve against SUP	NPP, Nehtaur	20.06.2023	36	0.6	1000.00
34		Joint Drinve against SUP	NPP, Dhampur	20.06.2023	16	0.6	500.00
35		Joint Drinve against SUP	NPP, Dhampur	21.06.2023	28	0.3	0.00
36		Joint Drinve against SUP	NPP, Bijnor	21.06.2023	44	8.25	5150.00
37		Joint Drinve against SUP	NPP, Haldaur	21.06.2023	12	1.28	500.00
38		Joint Drinve against SUP	NPP, Nagina	21.06.2023	15	0.5	600.00
39		Joint Drinve against SUP	NPP, Haldaur	22.06.2023	12	1.4	100.00
40		Joint Drinve against SUP	NPP, Dhampur	22.06.2023	23	7.3	2400.00

41	Joint Drinve against SUP	NPP, Bijnor	22.06.2023	28	10	11300.00
42	Joint Drinve against SUP	NPP, Jhalu	22.06.2023	15	0.9	900.00
43	Joint Drinve against SUP	NPP, Nehtaur	23.06.2023	32	2	1300.00
44	Joint Drinve against SUP	NPP, Bijnor	23.06.2023	17	3	1000.00
45	Joint Drinve against SUP	NPP, Dhampur	23.06.2023	20	4.9	2600.00
46	Joint Drinve against SUP	NPP, Dhampur	24.06.2023	15	0.3	200.00
47	Joint Drinve against SUP	NPP, Nagina	25.06.2023	21	1.2	1200.00
48	Joint Drinve against SUP	NPP, Nehtaur	26.06.2023	45	0.3	1500.00
49	Joint Drinve against SUP	NPP, Dhampur	26.06.2023	29	0.4	400.00
50	Joint Drinve against SUP	NPP, Bijnor	26.06.2023	36	4	7200.00
51	Joint Drinve against SUP	NPP, Haldaur	27.06.2023	45	0.9	500.00
52	Joint Drinve against SUP	NPP, Dhampur	27.06.2023	41	0.8	1500.00
53	Joint Drinve against SUP	NPP, Bijnor	27.06.2023	23	4	5300.00
54	Joint Drinve against SUP	NPP, Dhampur	28.06.2023	43	6.4	4700.00
55	Joint Drinve against SUP	NPP, Dhampur	28.06.2023	24	0.3	500.00
56	Joint Drinve against SUP	NPP, Sherkot	30.06.2023	35	3	5000.00
57	Joint Drinve against SUP	NPP, Dhampur	30.06.2023	16	0.4	0.00
58	Joint Drinve against SUP	NPP, Dhampur	01.07.2023	39	2.3	1300.00
59	Joint Drinve against SUP	NPP, Dhampur	03.07.2023	33	0.6	1000.00
60	Joint Drinve against SUP	NPP, Nehtaur	20.09.2023	42	0.4	1000.00
61	Joint Drinve against SUP	NPP, Haldaur	20.09.2023	20	0	0.00
62	Joint Drinve against SUP	NPP, Seohara	20.09.2023	25	1.1	1200.00
63	Joint Drinve against SUP	NPP, Bijnor	20.09.2023	22	7	9500.00
64	Joint Drinve against SUP	NPP, Noorpur	21.09.2023	12	0.15	1500.00
65	Joint Drinve against SUP	NPP, Chandpur	22.09.2023	30	0.75	800.00
66	Joint Drinve against SUP	NPP, Haldaur	22.09.2023	11	2.35	100.00
67	Joint Drinve against SUP	NPP, Sadar, Bijnor	23.12.2023	22	4.50	2600.00
68	Joint Drinve against SUP	NPP, Dhampur	02.01.2024	18	5.60	13000.00
69	Joint Drinve against SUP	NPP, Dhampur	06.01.2024	42	1.60	900.00
70	Joint Drinve against SUP	NPP, Dhampur	08.01.2024	27	0.20	1500.00
71	Joint Drinve against SUP	NPP, Dhampur	11.01.2024	24	0.30	1000.00
72	Joint Drinve against SUP	NPP, Dhampur	16.01.2024	32	0.40	900.00
73	Joint Drinve against SUP	NPP, Haldaur	16.01.2024	6	1.08	100.00
74	Joint Drinve against SUP	NPP, Noorpur	16.01.2024	76	6.00	4700.00
75	Joint Drinve against SUP	NPP, Dhampur	16.01.2024	32	0.40	900.00
76	Joint Drinve against SUP	NPP, Noorpur	20.01.2024	24	3.10	1200.00
77	Joint Drinve against SUP	NPP, Kiratpur	20.01.2024	4	2.00	4000.00
78	Joint Drinve against SUP	NP, Sahanpur	23.01.2024	12	1.80	4000.00
79	Joint Drinve against SUP	NPP, Dhampur	27.01.2024	32	1.80	1000.00
80	Joint Drinve against SUP	NPP, Jalalabad	29.01.2024	12	0.80	600.00
81	Joint Drinve against SUP	NPP, Haldaur	29.01.2024	11	2.65	400.00
82	Joint Drinve against SUP	NPP, Noorpur	29.01.2024	26	3.00	1500.00
83	Joint Drinve against SUP	NPP, Dhampur	30.01.2024	21	0.30	400.00
84	Joint Drinve against SUP	NPP, Noorpur	30.01.2024	18	1.00	300.00
85	Joint Drinve against SUP	NPP, Seohara	30.01.2024	42	4.50	5900.00
86	Joint Drinve against SUP	NPP, Dhampur	01.02.24 to 29.02.24	156	3.35	5400.00
87	Joint Drinve against SUP	NPP, Noorpur	05.02.2024	6	0.70	0.00
88	Joint Drinve against SUP	NPP, Noorpur	06.02.2024	7	1.80	2300.00

Bijnor

89		Joint Drinve against SUP	NPP, Noorpur	26.02.2024	17	3.00	3300.00	
90		Joint Drinve against SUP	NPP, Dhampur	01.03.2024	26	0.60	800.00	
91		Joint Drinve against SUP	NPP, Sadar, Bijnor	02.03.2024	25	1.10	20000.00	
92	Azamgarh	Rally	Azamgarh	01.07.2022	30.06.2022, 10.04.2023, to 11.10.2023, 30.012024, 04.04.2024	29.45	15000.00	
93		Rally	Ballia	11.03-2024				
94	Saharanpur	Rally	Railway Station to Clock Tower	29-06-2022	22-12-2022` (With CPCB)	353.882 kg	Rs-273500	
95		Meeting	Collectrate	16-06-2022 26-06-2022	Monthly basis inspection with nagar nigam-	-	-	
96			Pulkkhumran	07-01-22				
97		Press note	29-06-2022	30-06-2022	-	-	-	-
98		meeting	Regional office,Ayodhya		23.05.2023	-	-	-
99	meeting	M/s ITI Yash Paper, Darshan Nagar, Ayodhya		05.06.2023	-	-	-	
100	Ayodhya	meeting	Madhyamik Vidylaya, Shivala Mau, Raebareily Road, Ayodhya		14.12.2023	-	-	-
101		Rally	Naar Ram ki Paidy		09.01.2024	-	-	-
102		Rally	Saryu River Bank,Ayodhya		07.03.2024	-	-	-
103	Prayagraj	Organized by Nagar Nigam (rally & debate)	(Chandra Shekhar Park ) Civil Lines Prayagraj	01/07/2022 to 16/07/2022	Total No of inspections carried out-33	196.5	80260.00	
104		Organized by Pollution Board (rally)	Jhusi, Prayagraj	17/07/2022	2	0	0.00	
105				18/07/2022	10	1	5000.00	
106				19/07/2022	12	4.5	8500.00	
107				20/07/2022	20	25	50450.00	
108				21/07/2022	10	0	0.00	
109				22/07/2022	5	0	0.00	
110				23/07/2022	7	0	0.00	
111				24/07/2022	0	0	0.00	
112				25/07/2022	8	0	0.00	
113				08-08-22	20	17	500.00	
114				26/09/2022	5	7	0.00	
115				28/09/2022	7	5	0.00	
116	10-01-22	5	8	0.00				
117	21/11/2022	10	0	0.00				
118	22/11/2022	4	0	0.00				
119	23/11/2022	3	0	0.00				
120	20/12/2022	18	0	0.00				



125	Raebareli	Amethi, Meeting/ Rally	<p>1- Chowk ward, Gauriganj.                  2- GGIC ward-1, Gauriganj.                  3- Hanuman Tiraha ward-22, Gauriganj.                  4- Bus stant, Jais.                  5- Jagdishpur road, Jais                  6- Malik Mohammad shodh sansthan, Jais.                  7- Ambedkar Chauraha, Amethi.                  8- Sagra tiraha, Amethi.                  9- Devi patan mandir, Amethi.                  10- Galla Mandi, Musafirkhana.                  11- Bus stand, Musafirkhana.                  12- Tehseel Area, Musafirkhana.</p>	<p>11-12-2023                  15-12-2023                  05-01-2024                  05-01-2024                  10-01-2024                  15-01-2024                  07-12-2023                  12-01-2024                  15-02-2024                  12-02-2024                  09-02-2024                  13-01-2024</p>	<p>11-12-2023                  15-12-2023                  05-01-2024                  05-01-2024                  10-01-2024                  15-01-2024                  07-12-2023                  12-01-2024                  15-02-2024                  12-02-2024                  09-02-2024                  13-01-2024</p>	104.00 KG	53000.00	
126		Pratapgarh, Rally	<p>1- Dahilamau market, NPP, Belha                  2- Babaganj, NPP, Belha.                  3- Ambedakar Chauraha, NPP, Belha.                  4- Kapoor chauraha, NPP, Belha.                  5- Gazi Chauraha, NPP, Belha.                  6- From Indira Chowk to Sangam Chauraha, NP, Lalganj.                  7- From Indira Chowk to Ghuishar Nath road, NP, Lalganj.                  8- From Sanja Nagar Tiraha to Kauli ka purwa, NP, Mandhata bazar.                  9- From Sanja Nagar Tiraha to Katra gulab road NP, Mandhata bazar.                  10- Nagar Panchyat office Aliganj chauraha.                  11- Nagar Panchyat office to Inter college, NP, Manikpur.                  12- Nagar Panchyat office to Sahabganj Chauraha, NP, Manikpur.                  13- Nagar Panchyat office to Jwala Devi mandir Road, NP, Manikpur.                  14- In Pure guliya and others in Raniganj area, NP Raniganj</p>	<p>25-05-2023                  03-07-2023                  05-08-2023                  07-11-2023                  12-12-2023                  24-02-2023                  13-11-2023                  24-02-2023                  13-11-2023                  26-06-2023                  15-08-2023                  13-08-2023                  13-10-2023                  19-01-2023</p>	<p>25-05-2023                  03-07-2023                  05-08-2023                  07-11-2023                  12-12-2023                  24-02-2023                  13-11-2023                  24-02-2023                  13-11-2023                  26-06-2023                  15-08-2023                  13-08-2023                  13-10-2023                  19-01-2023</p>	47.240 KG	74000.00	
127		Pratapgarh, Meeting	<p>1- NPP office, Belha                  2- Pandit Ram Ajor Indermediate College, NP, Lalganj.                  3- Office NP Lalganj.                  4- Panchyat Bhwan, NP Mandhata.                  5- Office NP Mandhata.                  6- Office NP Manikpur.                  7- Office NP Manikpur (Swch Vataran samiti)                  8- Duniyaganj, NP katra Medniganj.                  9- Bazar khas Paschimi, NP Katra Medniganj.                  10- Avampur, NP Katra Medniganj.</p>	<p>08-02-2024                  17-05-2023                  13-08-2023                  17-05-2023                  13-08-2023                  25-03-2023                  17-09-2023                  14-01-2024                  16-01-2024                  17-02-2024</p>	<p>08-02-2024                  17-05-2023                  08-2023                  17-05-2023                  13-08-2023                  03-2023                  2023                  2024                  2024                  2024</p>	<p>13-                  25-                  17-09-                  14-01-                  16-01-                  17-02-</p>	0.735 KG	1500.00

128		Pratapgarh, Street Play	1- In Pure guliya and others in Raniganj area, NP Raniganj 2- Bithalpur, NP Raniganj. 3- Rastipur, NP Raniganj.	19-01-2024 29-11-2023 22-12-2023	19-01-2024 29-11-2023 22-12-2023	0.325 KG	1800.00
129	Basti	Campaign	Bharat Bhari Nagar Palika		Feb, 2024	2.5 Kg	
130			Sohartgarh Nagar Palika		Feb, 2024	2.7 Kg	
131			Siddharthnagar Nagar Palika		Feb, 2024	1.5 Kg	
132			Kapilvastu Nagar Palika		Feb, 2024	5 Kg	
133			Bansi Nagar Palika		Feb, 2024	1.6 Kg	
134			Basti Nagar Palika		Mar, 2024	2.5 Kg	
135			Nagar Palika Parishad, Khalilabad, Sant Kabir Nagar			Feb, 2024	3.5 Kg
136	Moradabad	Meeting/ Goshthi	Akansha Vidhyapith Inter College, Moradabd (05.02.2024)		17.04.2023	2.5	5500
137					18.05.2023	51	29500
138					24.05.2023	59	10000
139					18.05.2023	14.5	29500
140					08.06.2023	71.6	10000
141					21.06.2023	1.1	6000
142					22.06.2023	1.7	14000
143					24.06.2023	94.85	2000
144					27.06.2023	136.35	26500
145					30.06.2023	176.35	28500
146					05.07.2023	355.35	51500
147					06.08.2023	0.07	700
148					12.08.2023	0.13	1300
149					18.08.2023	0.1	1000
150					28.08.2023	1077.35	12000
151					30.08.2023	0.1	1000
152					03.09.2023	1.8	2500
153					04.09.2023	1	2200
154					07.09.2023	0.5	1600
155					13.09.2023	1181.15	7300
156					14.09.2023	1.9	2800
157		20.09.2023	0.8	2000			
158		25.09.2023	0.4	1100.00			
159		30.09.2023	1.2	4000.00			
160		03.10.2023	5.87	24750.00			
161	Greater Noida	Rally	Yatharth Hospital Greater Noida	05.06.2023			
162		Rally	(Kishan Majdoor Adarsh Inter College,Rithauri,Ajayabpur Station )Dadri	27.12.2023			
163		Street Play	Hathras		21.06.2023	20.6 Kg	(Rs. 53000/-)
164		Street Play	Hathras		22.06.2023	06.5 Qnt	(Rs. 50000/-)
165		Street Play	Hathras		23.06.2023	200 grm	(Rs. 2000/-)
166		Street Play	Aligarh		16.03.2023	100 grm	(Rs. 1000/-)
167		Street Play	Aligarh		17.03.2023	100 grm	100 grm (Rs. 1000/-)
168		Street Play	Aligarh		20.03.2023	4 kg	4 Kg (Rs. 15000/-)

169	Street Play	Aligarh		22.03.2023	3 kg	3 Kg (Rs. 12000/-)
170	Street Play	Aligarh		23.03.2023	20 kg	(Rs. 40000/-)
171	Street Play	Aligarh		28.03.2023	400 grm	(Rs. 2000/-)
172	Street Play	Aligarh		06.04.2023	50 grm	(Rs. 500/-)
173	Street Play	Aligarh		27.06.2023	700 gm	(Rs. 9000/-)
174	Street Play	Aligarh		03.07.2023	22 kg	(Rs. 46000/-)
175	Street Play	Aligarh		03.08.2023	100 gm	(Rs. 1000/-)
176	Street Play	Aligarh		11.08.2023	50 gm	(Rs. 500/-)
177	Street Play	Aligarh		16.08.2023	300 gm	(Rs. 4500/-)
178	Street Play	Aligarh		17.08.2023	200 gm	(Rs. 2000/-)
179	Street Play	Aligarh		19.08.2023	100 gm	(Rs. 1000/-)
180	Street Play	Aligarh		24.08.2023	600 gm	(Rs. 7000/-)
181	Street Play	Aligarh		29.08.2023	100 gm	(Rs. 1000/-)
182	Street Play	Aligarh		02.09.2023	300 gm	(Rs. 4500/-)
183	Street Play	Aligarh		04.09.2023	400 gm	(Rs. 5000/-)
184	Street Play	Aligarh		05.09.2023	100 gm	(Rs. 1000/-)
185	Street Play	Aligarh		06.09.2023	700 gm	(Rs. 15500/-)
186	Street Play	Aligarh		08.09.2023	10 kg	(Rs. 30000/-)
187	Street Play	Aligarh		11.09.2023	500gm	(Rs. 6000/-)
188	Street Play	Aligarh		15.09.2023	1.5 kg	(Rs.13000/-)
189	Street Play	Aligarh		16.09.2023	500 gm	(Rs.5000/-)
190	Street Play	Aligarh		19.09.2023	450 gm	(Rs.3000/-)
191	Street Play	Aligarh		20.09.2023	150 gm	(Rs.1000/-)
192	Street Play	Aligarh		21.09.2023	650 gm	(Rs.4000/-)
193	Street Play	Aligarh		22.09.2023	50 gm	(Rs.500/-)
194	Street Play	Aligarh		23.09.2023	200 gm	(Rs.2000/-)
195	Street Play	Aligarh		30.09.2023	200 gm	(Rs.1500/-)
196	Street Play	Aligarh		07.10.2023	600 gm	(Rs.3000/-)
197	Street Play	Aligarh		11.10.2023	3 kg	(Rs. 15000/-)
198	Street Play	Aligarh		17.10.2023	500 gm	(Rs.2000/-)
199	Street Play	Aligarh		04.12.2023	15 kg	(Rs.25000/-)
200	Street Play	Aligarh		23.12.2023	2 kg	(Rs.3000/-)
201	Street Play	Aligarh		26.12.2023	1.5 kg	(Rs.3000/-)
202	Street Play	Aligarh		27.12.2023	4 kg	(Rs.11000/-)
203	Street Play	Aligarh		04.01.2024	8 kg	(Rs.17500/-)
204	Street Play	Aligarh		05.01.2024	200 gm	(Rs.2000/-)
205	Street Play	Aligarh		16.01.2024	100 gm	(Rs.1000/-)
206	Street Play	Aligarh		18.01.2024	1 kg	(Rs.9000/-)
207	Street Play	Aligarh		19.02.2024	12 kg	(Rs.25000/-)
208	Street Play	Aligarh		20.02.2024	600 gm	(Rs.3000/-)
209	Street Play	Aligarh		27.02.2024	800 gm	(Rs.5000/-)
210	Street Play	Aligarh		01.03.2024	450 gm	(Rs.4000/-)
211	Street Play	Aligarh		22.03.2024	250 gm	(Rs.2000/-)
212	Rally	Nagar Nigam Jhansi		01.04.2023 to 20.03.2024	1403.55 Kg	830800.00
213	Awaerness Campaign (Magic Show)	Nagar Plaika Parishad, Orai		25.11.2023 to 26.01.2023	4.950 Kg	52000.00

214	Jhansi	Meeting	Nagar Plaika Parishad, Lalitpur				
215			1. Ghanta Ghar, Date ,	21.05.2023	06.06.2023,	9.930 Kg	65000.00
216			2. Nazal bazar Date	06.06.2023,	12.06.2023,		
217			3. Super Market Date	06.07.223,	17.06.2023,		
218			4. Bus Stand Date	09.06.2023,	20.06.2023,		
219			5. Station Date	21.06.2023,	23.06.2023,		
220			6. Tuvan Chaourah Date	11.10.2023	27.07.2023		
221	Kanpur Dehat	A meeting was organized on 13.10.2021 for the elimination of single use plastic under the chairmanship of the District Magistrate. District Magistrate directed all the concerned departments present in the meeting to take effective action for the eradication of single-use plastic as well as run a public awareness campaign. In the above context, a campaign is being run in collaboration with the Executive Officer, Municipal Council/Nagar Panchayat, under which 140 kg of single use plastic was seized and a challan of Rs 141000 was issued.	All ULBs in Distirt-Kanpur dehat	-			
222		Meeting	Pukhrayan Mati Jail		18.07.2023 to 28.12.2023	19.29 Kg	31200
223		-	Pukhrayan		13.12.2023 (Shopkeeper Mr Chand)		1000.00
224		-	Pukhrayan		13.12.2023 (Shopkeeper Mr Abhinav Bansal)		2500.00
225		-	Rania		03.01.2023 (M/s Baba Anandeshwar Plastic PVT LTD, Chitikpur, Rania, Kanpur Dehat)	7.545 Tonne	25000.00
226		-	Jainpur		06.10.2023 (M/s Baba Anandeshwar thermo Plast Industries.,G-63, Jainpur, Kanpur Dehat)	5 Kg	25000.00
227		-	Rania		05.01.2024 (M/s Pramod Jain Factory no. 75, DIC Malwar, Rania, Kanpur Dehat)	1.5 Tonne	25000.00

228		Under the District Plan 2023-24 Kanpur dehat, publicity was given by organizing essay/painting competitions in the schools of the districts, by placing holdings at the district headquarters and liquor vends.	All ULBs in Distirt-Kanpur dehat	-	-		
229		In Kannauj district, a joint campaign was conducted with Central Pollution Control Board, Uttar Pradesh Pollution Control Board and Municipal Council, Kannauj on 25.07.2023 and 26.07.2023, out of which an challan of Rs 9700/- was made and 3.57 kg single use plastic was collected. Was confiscated.	Kannauj		25.07.2023 & 26.07.2023	3.57 Kg	9700.00
230	Unnao	Street Play	Bada Chaurha to Chota Chaurha, Unnao	29.05.2023	Moh. Faisal, SSA (CPCB) Shri Pawan Kumar Mishra, SA (UPPCB) and Representative of ULB.	08 Kg	1400.00
231		Street Play	Location:-Bawanchungi, Sadarbazar, Railwayganj Hardoi.	26.07.2023	Moh. Faisal, SSA (CPCB) Shri B.S Dwivedi, MA (UPPCB) and Representative of ULB.	9.9 Kg	20000.00
232	Firozabad	School Meeting	Suhag Nagar,Firozabad	18.03.2024	26.03.24,27.03.2024,28.03.2024,29.03.2024	28.29 kg<75 Microne	Rs-90,000
233			Mahaveer Nagar,Firozabad	27.03.2024			
234	Meerut	Debate/Street play	Meerut	10-10-23	-		
235							
236		Debate/Street play	Meerut	10-11-23	-	-	-
237		Debate/Street play	Meerut	10-12-23	-	-	-
238		Drawing competition	Meerut	16-10-2023	-	-	-
239		Drawing competition	Meerut	26-10-2023	-	-	-
240		Drawing competition	Meerut	29-10-2023	-	-	-
241		Drawing competition	Meerut	30-10-2023	-	-	-
242		Drawing competition	Meerut	18-11-2023	-	-	-
243		Drawing competition	Meerut	25-11-2023	-	-	-
244		Drawing competition	Meerut	12-05-23	-	-	-
245		Drawing competition	Meerut	12-11-23	-	-	-
246		Drawing competition	Meerut	29-12-2023	-	-	-

247		Nagar Nigam ( Meerut )	Meerut,	01.04.2023 to31.03.2024		5050 kg	1292000.00
248		Nagar Palika Parisad,Baghpat,Rally	Baghpat	22.12.2023		0.900 gm	200.00
249		Nagar Palika Parisad,Baghpat,Rally	Baghpat	23.12.2023		0.150 gm	150.00
250	Muzaffarnagar	Different activities for mass awareness to prevent the use of Single Use Plastic is being conducted with Urban Local Bodies under RACE program, Plog Run, Rally etc. Further, for the effective implementation to restrict the use of SUP, drives for Seizure of SUP Products and imposition of fine with the help of Urban Local Bodies.	Muzaffarnagar	01.01.2023 to 31.01.2023	01.01.2023 to 31.01.2023	5.50	2500.00
251				01.02.2023 to 28.02.2023	01.02.2023 to 28.02.2023	3.50	3500.00
252				01.03.2023 to 31.03.2023	01.03.2023 to 31.03.2023	2.50	2000.00
253				01.04.2023 to 30.04.2023	01.04.2023 to 30.04.2023	3.00	3000.00
254				01.05.2023 to 31.05.2023	01.05.2023 to 31.05.2023	2.50	5000.00
255				01.06.2023 to 30.06.2023	01.06.2023 to 30.06.2023	23.50	14500.00
256				01.07.2023 to 31.07.2023	01.07.2023 to 31.07.2023	3.50	3000.00
257				01.08.2023 to 31.08.2023	01.08.2023 to 31.08.2023	3.50	3000.00
258				01.09.2023 to 30.09.2023	01.09.2023 to 30.09.2023	3.00	3000.00
259				01.10.2023 to 31.10.2023	01.10.2023 to 31.10.2023	3.00	3000.00
260				01.11.2023 to 30.11.2023	01.11.2023 to 30.11.2023	4.50	15000.00
261				01.12.2023 to 31.12.2023	01.12.2023 to 31.12.2023	3.00	3000.00
262			Shamli	01.01.2023 to 31.01.2023	01.01.2023 to 31.01.2023	17.20	2000.00
263				01.02.2023 to 28.02.2023	01.02.2023 to 28.02.2023	10.25	2500.00
264				01.03.2023 to 31.03.2023	01.03.2023 to 31.03.2023	6.30	4600.00
265				01.04.2023 to 30.04.2023	01.04.2023 to 30.04.2023	6.20	3600.00
266				01.05.2023 to 31.05.2023	01.05.2023 to 31.05.2023	14.20	4000.00
267				01.06.2023 to 30.06.2023	01.06.2023 to 30.06.2023	0.25	2500.00
268				01.07.2023 to 31.07.2023	01.07.2023 to 31.07.2023	2.25	4500.00
269				01.08.2023 to 31.08.2023	01.08.2023 to 31.08.2023	0.20	2000.00
270	01.09.2023 to 30.09.2023	01.09.2023 to 30.09.2023	0.35	2710.00			

271				01.10.2023 to 31.10.2023	01.10.2023 to 31.10.2023	0.25	2500.00				
272				01.11.2023 to 30.11.2023	01.11.2023 to 30.11.2023	0.31	3100.00				
273				01.12.2023 to 31.12.2023	01.12.2023 to 31.12.2023	1.52	13910.00				
274	Agra	Debate	Shri Ratan Muni Jain Inter College, Lohamandi, Agra	15.02.2023	April 2023-March 2024	47652 kg	4455750.00				
275			Shri Ratan Muni Jain Inter College, Lohamandi, Agra	(16.05.2023)							
276			Shri Ratan Muni Jain Inter College, Lohamandi, Agra	(05.06.2023)							
277		Meeting	UPMRC Site, Agra	(05.06.2023)							
278			NCC Camp At ND-Degree college shamshabad Road, Agra	(21.07.2023)							
279		Debate	Shantanu Englo Vaidhik Inter College Kakretha, Agra	(07.09.2023)							
280			Mini Montessori School Nagla Padi, Agra	(16.09.2023)							
281			NCC Camp At ND-Degree college shamshabad Road, Agra	(31.10.2023)							
282			NCC Camp At Chuadhary Raghunath Singh Degree College, Kirawali, Agra	(28.11.2023)							
283			Shantanu Englo Vaidhik Inter College Kakretha, Agra	(19.12.2023)							
284			Vansthali School Jharana Nala, Agra	(22.12.2023)							
285			Seemax International School Kalandi Vihar, Agra	(23.12.2023)							
286		Bulandshahar	Rally	Kala to Bhoor Chauraha Date 18/03/24				Prohibitory inspections carried out from march, 2023 to March, 2024		1374.05 kg	714305/-
287		Bulandshahar	Play	Exhibition Ground, Bulandshahar Date 18/04/2024							
288		Bulandshahar	Street Wall painting	Anupshahr, Ganga street							
289	Bulandshahar	Rally	On the occasion of Hon'ble Prime Minister's visit to Bulandshahr on 23/01/2024, hoardings have been installed at 4 places to create public awareness regarding boycott of single use plastic and single use plastic free Bulandshahr.	23/01/2024,							
290	Bulandshahar	Cloth bag distribution campaign	Yamunapuram Colony & Kala Aam Chauraha Date 31/03/2024	31/03/2024							

291	Bulandshahar	Wall painting in relation to the boycott of single use plastics	Regional Office, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Bulandshahr has taken an pladge by all the officers/employees of the office. On the wall of the main gate of the office pladge for not to use single use plastic and wall painting has also been done to spread public awareness.					
292	Bulandshahar	Public awareness to boycott of single use plastics in Anopshahar at the Ghat of Ganga	In Anupshahr of Bulandshahr district, through loudspeakers on the ghats of river Ganga, Public awareness was spread as not to throwing puja materials and flowers in the river Ganga and not litter at the Ghat. Instead using dustbins installed at the ghats and not to use banned Single use plastic. Hoardings regarding this have also been installed on the major road of the city.					
293	Bulandshahar	Public awareness program regarding SUP in Govt./Pvt. School in Bulandshahar	In order to create awareness amongst school children several seminar were organized in Govt./Pvt school. Few photo is are follows:-					
294	Bulandshahar	Public awareness program regarding SUP in Industries in Bulandshahar						
295	Bulandshahar	A meeting was organized to create awareness about the ban on single use plastic with the Industrialists organized on 1st 10/06/2022 at Muzam Mahal		06-02-23				
296	Bulandshahar		Public awareness regarding boycott of single use plastic is also being disseminated through display at the CAAQMS installed in the premises of the Regional Office, Bulandshahr.					
297	Bulandshahar		To avoid throwing of Puja material/Plastic waste steel barricades have been installed at different places of Ganga canal.					
<b>Total</b>							<b>68791.18</b>	<b>9346205</b>


गंगा एवं यमुना नदी का प्रयागराज जिले में संगम होता है। उक्त स्थल पर प्रत्येक वर्ष माघ महीने में श्रद्धालुओं द्वारा कल्पवास किया जाता है एवं पूरे महीने तक माघ मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें लाखों की संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं द्वारा स्नान किये जाने के साथ-साथ गंगा नदी में पूजा-अर्चना के समय फूल-माला आदि भी विसर्जित कर दिया जाता है। फूल/माला आदि के अत्यधिक विसर्जन से गंगा नदी में प्रदूषण की संभावना बढ़ जाती है। उक्त को रोके जाने हेतु नगर निगम प्रयागराज द्वारा समय-समय पर अभियान भी चलाया जाता है, जिसमें उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज के कार्मिकों द्वारा प्रतिभाग किया जाता है एवं पोस्टर बैनर के माध्यम से भी श्रद्धालुओं में इस आशय की जागरूकता प्रसारित की जाती है कि गंगा नदी में फूल माला आदि का विसर्जन न करें। साथ ही नगर निगम द्वारा गंगा नदी में विसर्जन किये गये फूल माला आदि के निकासी हेतु दो अदद रिवर सरफेस ट्रैस स्कीमर मशीन संचालित की जा रही है, जिसे माध्यम से नदी से फूल-माला/प्लास्टिक वेस्ट को निकाल लिया जाता है।



गंगा एवं यमुना नदी में सफाई कर्मियों द्वारा भी नियमित रूप से घाटों पर विसर्जित किये गये फूल-माला एवं प्लास्टिक आदि को निकाला जाता है।



गंगा एवं यमुना नदी में मिलने वाले सभी नालों पर प्लास्टिक वेस्ट को रोकने हेतु जाली स्थापित की गयी है, जिससे प्लास्टिक वेस्ट व अन्य ठोस अपशिष्ट गंगा एवं यमुना नदी में प्रवाहित नहीं हो पाता है।



## कार्यालय नगर पालिका परिषद, बागपत

पत्रांक

/ न0पा0परि0 / 2024-25

दिनांक :-

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी  
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
पाकेट-टी,सी-3/2, पल्लवपुरम फेस-2,  
मोदीपुरम, मेरठ-250110 (उ0प्र0)

**विषय :-**माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-793/2023 **In re:News item appearing in Hindustan dated 07-12-2023** गंगा-यमुना पर भारी पड़ रहे आस्था के फूल, पॉलीथीन में भरकर पुलो से डाल रहे 25 किग्रा पॉलीथीन रोज" में पारित आदेश दिनांक 18.03.2024 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्रांक सं0-276/G/OA-793/MRT/2024 दिनांक 14.06.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमें माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-793/2023 **In re: News item appearing in Hindustan dated 07-12-2023** गंगा-यमुना पर भारी पड़ रहे आस्था के फूल, पॉलीथीन में भरकर पुलो से डाल रहे 25 किग्रा पॉलीथीन रोज" के संबंध में सादर अवगत कराना है कि नगर पालिका परिषद, बागपत की सीमाक्षेत्र के अन्तर्गत यमुना नदी का जल प्रवाह नहीं है, यमुना नदी का जल प्रवाह वर्तमान समय में बागपत सीमाक्षेत्र के काफी दूर हरियाणा की सीमा में जल प्रवाह हो रहा है, एंवम बागपत के स्थानीय निवासियों द्वारा यमुना नदी के जल प्रवाह के पास फूल पॉलीथीन आदि नहीं फेके जाते हैं। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि नगर पालिका परिषद, बागपत की सीमाक्षेत्र के अन्तर्गत यमुना नदी पर कोई पुल बना हुआ नहीं है साथ ही भारत सरकार द्वारा प्रतिबन्धित सिंगल यूज्ड प्लास्टिक एवं प्रतिबन्धित कैरी बैग के उपयोग को रोके जाने हेतु नगर पालिका परिषद, बागपत के पत्र सं0 313/न0पा0परि0बा0/2024-25 दिनांक 15.06.2024 द्वारा दैनिक समाचार पत्र एवं दैनिक जनवाणी समाचार पत्र में विज्ञापन के माध्यम से आवश्यक सूचना प्रकाशित करायी गयी जो इस पत्र के साथ संलग्न है, तथा नगर पालिका परिषद, बागपत द्वारा नगर बागपत में प्रतिबन्धित सिंगल यूज्ड प्लास्टिक के प्रयोग पर रोक लगाने हेतु दुकानों पर दुकानदारों द्वारा पॉलीथीन का प्रयोग करने वालों के विरुद्ध पॉलीथीन जब्त करने एवं जुर्माना लगाने की कार्यवाही की जा रही है। "पॉलीथीन जब्त करने एवं जुर्माना लगाने के फोटो दिनांक 21.06.2024 संलग्न है" एवं नगर क्षेत्र बागपत में नागरिकों को पॉलीथीन का प्रयोग न करने हेतु जागरूक किया जा रहा है।

सूचना आपकी सेवा में सादर प्रेषित है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

डिप्टी कलेक्टर/अधिशाली अधिकारी  
नगर पालिका परिषद, बागपत

**कार्यालय नगर पालिका परिषद, बागपत**

पत्रांक: 313/न०पा०परि०बा०/2024-25 दिनांक: 15.06.2024

**-:आवश्यक सूचना:-**

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 व प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2021 व उ०प्र० सरकारी गजट दिनांक 15 जुलाई 2018 तथा मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) लखनऊ उ०प्र० के पत्र संख्या पी०एम०यू०/6142/524/2020-21 दिनांक 20 जुलाई 2022 द्वारा जारी अधिसूचना के अनुपालन में नगर पालिका परिषद बागपत की सीमान्तर्गत प्रतिबन्धित प्लास्टिक एवं थर्माकोल के सामग्री के विनिर्माण, आयात, वितरण, बिक्री और उपयोग पर निम्नानुसार प्रतिबन्ध लागू है।

- 75 माईक्रोन से कम मोटाई के प्लास्टिक कैंरी बैग और वस्तु 30 सितम्बर 2021 से प्रतिबन्धित है तथा 120 माईक्रोन से कम मोटाई के समस्त प्रकार की एकल उपयोग प्लास्टिक 31 दिसम्बर 2022 से पूर्णता प्रतिबन्धित है।
- 01 जुलाई 2022 की तारीख से निम्नलिखित सामग्री प्रतिबन्धित है-
  - पोलीस्टाईरीन और विस्तारित पोलीस्टाईरीन वस्तुओं सहित निम्न लिखित एकल प्रयोग प्लास्टिक वस्तुओं के विनिर्माण, आयात, भण्डारण वितरण बिक्री और उपयोग को पूर्णतः निषेध किया गया है।
  - प्लास्टिक युक्त ईयर बड्स, गुब्बारों के लिये प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक के झण्डे, कैंडी स्टिक, आईस्क्रीम की डंडिया, पोलीस्टाईरीन (थर्माकोल) की सजावट सामग्री।
  - जो कम्पोस्टिंग योग्य न हो ऐसी प्लास्टिक से बनी प्लेटे कप, गिलास, कोटे, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डिब्बे के इर्द गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्में, निगन्त्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट, 120 माईक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर ट्रे का भी 31 दिसम्बर 2022 से प्रयोग प्रतिबन्धित है।

इन सामग्रियों का विनिर्माण, आयात भण्डारण, वितरण, बिक्री और उपयोग करना प्रतिबन्धित है। पाये जाने पर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध अधिसूचना द्वारा निर्धारित निम्नानुसार आर्थिक दण्ड/दण्ड की व्यवस्था की गयी है।

क्र०सं०	मात्रा	आर्थिक दण्ड/दण्ड
01	100 ग्राम तक	1000/-रुपये
02	101 से 500 ग्राम	2000/- रुपये
03	501 से 01 किलोग्राम	5000/- रुपये
04	01 किलोग्राम से 05 किलोग्राम	10,000/- रुपये
05	05 किलोग्राम से अधिक	25,000/-रुपये

अतः समस्त दुकानदारों/उपभोक्ताओं/उत्पादनकर्ताओं आदि को आगाह किया जाता है कि, समस्त प्रकार की प्रतिबन्धित पॉलीथिन का प्रयोग तत्काल प्रभाव से बंद कर दे, अन्यथा जाँच के दौरान मौके पर प्रतिबन्धित पॉलीथिन पाये जाने की दशा में आपके विरुद्ध उक्त तालिका अनुसार उपरोक्त जुर्माना वसूलने/दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

(मनीष कुमार यादव)  
डिप्टी कलेक्टर/अधिशासी अधिकारी  
नगर पालिका परिषद, बागपत

(राजुदीन)  
अध्यक्ष  
नगर पालिका परिषद, बागपत

नगर पालिका परिषद, बागपत द्वारा दिनांक 21.06.2024 को नगर बागपत के मुख्य बाजारों में पॉलीथीन जब्त करने एवं जुर्माना लगाने की कार्यवाही के फोटो।



377

नगर पालिका परिषद, बागपत द्वारा यमुना घाट पर रखे गये डस्टबीन के फोटो



डिप्टी कलेक्टर/अधिशायी अधिकारी  
नगर पालिका परिषद, बागपत



क्षेत्रीय कार्यालय : उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, कानपुर  
REGIONAL OFFICE : UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, KANPUR

संदर्भ :- 499/आ-43/24

दिनांक:- 21-06-24

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2),  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
लखनऊ।

विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए०सं०- 793/2023 In re : News item appearing in Hindustan dated 07-12-2023 titled "गंगा-यमुना पर भारी पड़ रहे आस्था के फूल, पॉलीथीन में भरकर पुलों से डाल रहे 25 किग्रा० पॉलीथीन रोज" में पारित आदेश दिनांक 18.03.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच-11810/सी-7/ओ.ए.नं०-793/2024, दिनांक 03.06.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०-793/2023 In re: News item appearing in Hindustan dated 07-12-2023 titled "गंगा-यमुना पर भारी पड़ रहे आस्था के फूल, पॉलीथीन में भरकर पुलों से डाल रहे 25 किग्रा० पॉलीथीन रोज" में पारित आदेश दिनांक 18.03.2024 के आलोक में अवगत कराना है कि जनपद कानपुर नगर में सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिबंधों को कड़ाई से लागू किये जाने के अनुक्रम में प्रतिबन्धित प्लास्टिक के अन्तर्गत नगर निगम प्रशासन द्वारा दिनांक 15 जुलाई 2018 से 19 जून 2024 तक कृत कार्यवाही का विवरण क्रमशः है:-

क्र०सं०	दिनांक	जब्त की गई प्रतिबन्धित पॉलीथीन (किग्रा०)	प्रतिबन्धित में किया गया जुर्माना (रुपया)
1.	दिनांक 15.07.2018 से दिनांक 31.03.2019 तक	24,748.545	8,45,800.00
2.	दिनांक 01.04.2019 से दिनांक 31.03.2020 तक	7728.115	33,17,400.00
3.	दिनांक 01.04.2020 से दिनांक 31.03.2021 तक	32,601.930	11,73,600.00
4.	दिनांक 01.04.2021 से दिनांक 31.03.2022 तक	14,835.500	6,65,000.00
5.	दिनांक 01.04.2022 से दिनांक 31.03.2023 तक	1,46,109.350	47,02,330.00
6.	दिनांक 01.04.2023 से दिनांक 31.03.2024 तक	76,282.400	44,97,000.00
7.	दिनांक 01.04.2024 से दिनांक 19.06.2024 तक	27,698.00	16,77,000
कुल योग:-		<b>3,30,003.840</b>	<b>1,68,78,130.00</b>

यहाँ सूच्य है कि निगम प्रशासन द्वारा वर्ष 2023-24 में अभियान चलाकर कुल 194 चालान किये गये हैं। अग्रतर क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर नगर द्वारा प्रतिबन्धित सिंगल यूज प्लास्टिक तथा नदी को प्रदूषण मुक्त रखने के लिये प्लास्टिक की बोतल या अन्य समाग्री नदियों में या उनके किनारे फेंकने के प्रभावी रोकथाम हेतु जन-जागरूकता हेतु वॉल पेन्टिंग, वॉल राइटिंग, स्कूलों में सेमिनार, कपड़े के बैग्स का विवरण किया गया। अग्रतर अमृत सरोवर योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-रामपुर खाश, तालाब का सुन्दरीकरण जैसे पेड़, पेड़ों की सुरक्षा हेतु गार्ड, वॉल पेन्टिंग, सीमेण्ट की सीटें इत्यादि कार्य कराये गये। सुलभ सन्दर्भ हेतु तत्समय के फोटोग्राफ्स संलग्न है।



कृ०पू०स०.....

क्षेत्रीय कार्यालय : 5243, सद्भावना नगर, आवास विकास फेज-3, कल्याणपुर, कानपुर नगर- 208017

ई-मेल:- [rokanpur@uppcb.in](mailto:rokanpur@uppcb.in) फोन : 2510999

(2)



अतः महोदय से अनुरोध है कि उपरोक्त तथ्यों से अवगत होने का कष्ट करें।  
संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय,  
(ई० आशुतोष पाण्डेय)  
पर्यावरण अभियन्ता

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित महोदयों को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, कानपुर नगर।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

(ई० आशुतोष पाण्डेय)  
पर्यावरण अभियन्ता



उ0प्र0 प्लानेटिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा कचरा (विनियमन) अधिनियम 2000(वर्ष 2018 में संशोधित) के तहत निर्गत अधिनियम अधिसूचना संख्या 1056 / नी-7-18-29(लखनऊ) / 2018 दिनांक 15.07.2018 के क्रम में की गई कार्यवाही का विवरण

➤ नगर निगम प्रशासन द्वारा प्रतिबन्धित प्लानेटिक के अधिमान के अन्तर्गत 15 जुलाई 2018 से 19 जून 2024 तक की गई कार्यवाही का विवरण :-

क्रम सं०	दिनांक	जब्त की गई प्रतिबन्धित पालीथीन	प्रतिबन्धित में किया गया जुर्माना (रुपया)
1	दिनांक 15.07.2018 से दिनांक 31.03.2019 तक	24,748.545 कि०ग्र०	8,45,800.00
2	दिनांक 01.04.2019 से दिनांक 31.03.2020 तक	7728.115 कि०ग्र०	33,17,400.00
3	दिनांक 01.04.2020 से 31.03.2021 तक	32,601.930 कि०ग्र०	11,73,600.00
4	दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2022 तक	14,835.500 कि०ग्र०	6,65,000.00
5	दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2023 तक	1,46,109.350 कि०ग्र०	47,02,330.00
6	दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024 तक	76,282.400 कि०ग्र०	44,97,000.00
7	दिनांक 01.04.2024 से 19.06.2024 तक	27,698.00 कि०ग्र०	16,77,000.00
	कुल योग	3,30,003.840 कि०ग्र०	1,68,78,130.00

विशेष :- नगर निगम कानपुर द्वारा वर्ष 2023-2024 में 194 बालान मा० न्यायालय में दायर किये गये।

प्रेषक  
नगर आयुक्त,  
नगर निगम कानपुर।

सेवामें

राज्य मिशन निदेशक,  
स्वच्छ भारत मिशन-निदेशक,  
राज्य मिशन निदेशालय, उ०प्र०  
लखनऊ।

दिनांक:-24/6/2024

संख्या 275/D/SWA/NSA/MC

विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या 793/2023 In re  
New item appearing in Hindustan dated 07-12-2023 titled गंगा यमुना पर  
भारी पड रहे आस्था के फूल, पॉलीथीन में भरकर पुलो से डाल रहे 25 किग्रा पॉलीथीन रोज में  
पारित आदेश दिनांक 15.01.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक स्वकीय पत्र संख्या पी एम यू/10425/429(14) /2023  
लखनऊ दिनांक 12 जून2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, के सम्बन्ध में नगर निगम  
कानपुर द्वारा दिनांक 15 जुलाई 2018 से दिनांक 23.06.2024 तक प्रतिबन्धित पालीथीन पर  
अभियान चलाकर 3,30,003.840 कि०ग्राम पालीथीन जब्त की गयी तथा रू० 1,68,78,130/  
जुर्माना वसूल किया गया, जिसका विवरण वर्ष वार संलग्न है।

इसके अतिरिक्त गंगा घाटो की सफाई की कार्य योजना तैयार कर कार्य योजना के  
अनुसार घाटो पर सफाई का कार्य नियमित रूप से कराया जा रह है, कार्य योजना संलग्न है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार

भवदीय,

नगर आयुक्त,

नगर निगम कानपुर।

नगर निगम, कानपुर

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित:-

- 01 सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ ।
- 02 क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कल्याणपुर कानपुर नगर।

नगर आयुक्त,  
नगर निगम कानपुर।



उ0प्र0 प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा कचरा (विनियमन) अधिनियम 2000(वर्ष 2018 में संशोधित) के तहत निर्गत अधिनियम अधिसूचना संख्या 1056/नौ-7-18-29(लखनऊ)/2018 दिनांक 15.07.2018 के क्रम में की गई कार्यवाही का विवरण

➤ नगर निगम प्रशासन द्वारा प्रतिबन्धित प्लास्टिक के अभियान के अन्तर्गत 15 जुलाई 2018 से 23 जून 2024 तक की गई कार्यवाही का विवरण :-

क्रम सं०	दिनांक	जब्त की गई प्रतिबन्धित पालीथीन	प्रतिबन्धित में किया गया जुर्माना (रुपया)
1	2	3	4
1	दिनांक 15.07.2018 से दिनांक 31.03.2019 तक	24,748.545 कि०ग्रा०	8,45,800.00
2	दिनांक 01.04.2019 से दिनांक 31.03.2020 तक	7728.115 कि०ग्रा०	33,17,400.00
3	दिनांक 01.04.2020 से 31.03.2021 तक	32,601.930 कि०ग्रा०	11,73,600.00
4	दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2022 तक	14,835.500 कि०ग्रा०	6,65,000.00
5	दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2023 तक	1,46,109.350 कि०ग्रा०	47,02,330.00
6	दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024 तक	76,282.400 कि०ग्रा०	44,97,000.00
7	दिनांक 01.04.2024 से 23.06.2024 तक	27,698.00 कि०ग्रा०	16,77,000.00
	कुल योग	3,30,003.840 कि०ग्रा०	1,68,78,130.00

नगर स्वास्थ्य अधिकारी  
नगर निगम, कानपुर

कार्ययोजना बा०

स्वास्थ्य विभाग  
नगर निगम कानपुर  
गंगा घाटों की सफाई कार्य योजना

जोन संख्या	घाटों के नाम	कार्यरत कर्मचारियों संख्या (प्रातः 7:00 बजे से 2:00 बजे तक)	द्वितीय पाली संख्या (प्रातः 2:00 बजे से 8:00 बजे तक)	लगभग जाने वाले कर्मचारियों की संख्या	शासनादेश के आनुसार प्रति कर्मचारी प्रतिदिन व्यय	इस्टिमेट संख्या	लगभग जाने वाले अनुमानित व्यय प्रति जोड़ा इस्टिमेट ₹0.9,500/-मय जी0एस0टी0	एकक संख्या	अनुमानित व्यय प्रति जोड़ा ग्राडी
1	सरसैया घाट गुप्तार घाट भगवतदास घाट	05 03 05	05 — —	10 03 05	3665.40 1099.62 1832.70	20 05 05	1,90,000.00 47,500.00 47,500.00	05 02 03	45,000.00 18,000.00 27,000.00
2	सिद्धनाथ घाट	05	05	10	3665.40	20	1,90,000.00	05	54,000.00
4	अटल घाट भैरव घाट रानी घाट मैनजीन घाट अस्पताल घाट परमट, घाट, श्याम घाट, काली घाट	06 06 02 02 02 08	06 — — — — 08	12 06 02 02 02 16	4398.48 2199.24 733.08 733.08 733.08 5864.64	20 07 04 04 04 15	1,90,000.00 66,500.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 1,42,500.00	06 03 01 01 01 08	27,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 72,000.00
	योग	68	68	68	24,191.64	104	9,88,000.00	35	3,15,000.00

383

32

सफाई कर्मचारियों पर व्यय— 68 कर्मचारियों पर 01 दिन का पारिश्रमिक व्यय = 24,191.64×30 = प्रतिमाह ₹0. 7,25,749.20.00

प्रति जोड़ा इस्टिमेट (मय जी0एस0टी0) पर अनुमानित व्यय ₹0. 9,500×104 = ₹0. 9,88,000.00

प्रतिहाथ कड़ा गाडी (मय जी0एस0टी0) पर अनुमानित व्यय ₹0. 9,000×35 = ₹0. 3,15,000.00

कुल योग = ₹0. 20,28,749.20

नगर निगम, कानपुर  
स्वास्थ्य विभाग

कार्यालय नगर पंचायत बीकापुर जनपद अयोध्या

दिनांक- 18/06/2024

पत्र संख्या- 74 / न.पं.बी. / 2024-25

सेवा में,

राज्य मिशन निदेशक,  
स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय,  
राज्य मिशन निदेशालय, उ0प्र0,  
लखनऊ।

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-793/2023 in re "New item appearing in Hindustan dated 07.12.2023 titled गंगा-यमुना पर भारी पड़ रहे आस्था के फूल, पॉलीथीन में भरकर पुलों से डाल रहे 25 किग्रा पॉलीथीन रोज" में पारित आदेश दिनांक 15.01.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने निदेशालय के पत्र संख्या-PMU/10425/429(14)/2023 लखनऊ दिनांक 12 जून, 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-793/2023 in re "New item appearing in Hindustan dated 07.12.2023 titled गंगा-यमुना पर भारी पड़ रहे आस्था के फूल, पॉलीथीन में भरकर पुलों से डाल रहे 25 किग्रा पॉलीथीन रोज" में पारित आदेश दिनांक 15.01.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुये कृत कार्यवाही की सूचना प्रेषण हेतु निर्देशित किया गया है।

नगर पंचायत बीकापुर जनपद अयोध्या से चाही गयी उक्त सूचना दिये गये निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर साथ में संलग्न किया गया है।

अतः वॉछित सूचना नगर विकास अनुभाग-5 व मिशन निदेशालय की ई-मेल आईडी पर आपकी सेवा में सादर प्रेषित है, प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।  
संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

अधिकासी अधिकारी  
नगर पंचायत बीकापुर  
अयोध्या

पत्र संख्या व दिनांक- तदैव।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. श्रीमान् सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ (ms@uppcb.in) को सूचनार्थ हेतु सादर प्रेषित।
2. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, स्वच्छ भारत मिशन नगरीय, जनपद अयोध्या।

अधिकासी अधिकारी  
नगर पंचायत बीकापुर  
अयोध्या

क्र. सं.	निकाय का नाम	नाले/ड्रेनेज का नाम	जलीय प्रणाली (नदी/झील/तालाब /Wet Land) का नाम जिसमें नाला मिलता हो।	टैपिंग हेतु बार स्क्रीन/जाली लगाये जाने की स्थिति है अथवा नहीं	किस तिथि तक बार स्क्रीन/जाली लगाकर टैपिंग कर दी जायेगी
1	2	3	4	5	6
1	नगर पंचायत बीकापुर	वार्ड संख्या 03 में ब्लाक रोड से मछली मण्डी तालाब तक	तालाब में	2 नालों की टैपिंग करा दी गयी है।	शेष बचे हुये नालों की टैपिंग दिनांक- 31.07.2024 तक करा ली जायेगी।
2		वार्ड संख्या 05 सेमरा गाँव से दक्षिण गड्ढे तक	गड्ढे में		
3		वार्ड संख्या 09 नन्दरौली मोहल्ला में गाँव के पूरब से बैदौली सीमा तालाब तक	तालाब में		
4		वार्ड संख्या 10 हैडिल रोड से रेलवे लाइन सीमा तक	रेलवे लाइन की सीमा में		
5		वार्ड संख्या 10 हुनमान मन्दिर से तालाब तक	तालाब में		

नोट:- नगर पंचायत बीकापुर में बने नालों का जल प्रवाह किसी नदी में नहीं हो रहा है तथा इस निकाय के समीपस्थ कोई नदी स्थित नहीं है।

  
 अधिशासी अधिकारी  
 नगर पंचायत बीकापुर  
 अयोध्या

# कार्यालय-नगर पंचायत 386 ज्ञानपुर, जनपद-भदोही।

सेवा में

सचिव  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,  
उत्तर-प्रदेश, लखनऊ

पत्रांक 720 /न०पं०ज्ञानपुर/2024-25

दिनांक 18/06/2024

**विषय-** माननीय हरित अधिकारण (NGT)नई दिल्ली द्वारा ओ.ए. 793/2023 In re” New item appearing in Hindustan dated 07-12-2023 titled गंगा-यमुना पर भारी पड़ रहे आस्था के फूल, पॉलीथीन मेक भरकर पुलों से डाल रहे 25 किग्रा पॉलीथीन रोज“ में पारित आदेश दिनांक 15/01/2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक महोदय के कार्यालय पत्रांक-पी०एम०यू०/10425/429(14)/2024 लखनऊ दिनांक 12/06/2024 पर पृष्ठांकित माननीय हरित अधिकारण (NGT)नई दिल्ली द्वारा ओ.ए. 793/2023 In re” New item appearing in Hindustan dated 07-12-2023 titled गंगा-यमुना पर भारी पड़ रहे आस्था के फूल, पॉलीथीन मेक भरकर पुलों से डाल रहे 25 किग्रा पॉलीथीन रोज“ में पारित आदेश दिनांक 15/01/2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में पत्र पर इंगित वांछित कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही एवं प्रस्तावित कार्ययोजना बोर्ड के ई-मेल पते- [ms@uppcb.in](mailto:ms@uppcb.in) को उपपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है।

तत्कम में नगर पंचायत ज्ञानपुर से सम्बन्धित वांछित सूचनाएँ पत्र पर इंगित कर महोदय की सेवा में ई-मेल पते- [ms@uppcb.in](mailto:ms@uppcb.in) पर सादर सम्प्रेषित है, जो निम्नवत् है-

क्र०सं०	बिन्दु	आख्या
1	समस्त नालों में बार-मेश स्थापित करते हुए उनके निरन्तर सफाई किये जाने एवं तत्पश्चात् प्लास्टिक प्राप्त होने पर प्राधिकृत रिसाइक्लर्स के माध्यम से उक्त प्लास्टिक का निस्तारण किये जाने हेतु की जा रही कार्यवाही का विवरण।	नगर पंचायत ज्ञानपुर सीमान्तर्ग निर्मित समस्त नालों/नालियों की बार-मेश स्थापित करते हुए उनके निरन्तर साफ सफाई नियमित रूप करायी जाती है एवं तत्पश्चात् निकले कूड़े व प्लास्टिक को नगर सीमा के बाहर स्थिति नगर पंचायत के डम्पिंग ग्राउण्ड में निस्तारण हेतु भेज दिया जाता है। पृथक्करण के दौरान प्लास्टिक प्राप्त होने पर प्राधिकृत रिसाइक्लर्स के माध्यम से उक्त प्लास्टिक का निस्तारण किये जाने हेतु नगर पंचायत से सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा अपने अनुबन्ध किये गये स्थान पर भेज दिया जाता है। डम्पिंग ग्राउण्ड में एम०आर०एफ० सेन्टर बनाया गया है, जिसमें कर्मचारियों द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट को छटनी कर रिसाइक्लर को भेजा जायेगा।
2	पूजा घाट पर पूजा सामग्री एवं फूल, पॉलीथीन बैग में न फेंके जाने हेतु प्रबल कार्यवाही जाए।	नगर पंचायत ज्ञानपुर एक छोटी निकाय है। इस निकाय सीमान्तर्गत अवस्थित मंदिरों/पूजा स्थलों के परिसर में डस्टबिन अधिष्ठापित किये गये है एवं परिसर की दिवाल्लों पर वालपेंटिंग के माध्यम से पूजा सामग्री एवं फूल, पॉलीथीन बैग में परिसर में स्थित तालाबों में न फेंके जाने हेतु जन जागरूकता की जाती है।

3	<p>सेबीधेत अधिकारी को निदेश किया 387 कि अपने क्षेत्रान्तर्गत ऐसे हॉट-स्पॉट चिन्हित करें जो से पॉलीथीन में फूल एवं जूजा सामग्री को नदी एवं नालों में प्रवाहित किया जाता है तथा ऐसा करते हुए पाये जाने पर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।</p>	<p>नगर पंचायत ज्ञानपुर सीमान्तर्गत ऐसे कोई नहर स्थित नहीं है। नगर में एक ज्ञान सरोवर तालाब नगर के मध्य स्थित है, जहाँ पर डस्टबिन अधिष्ठापित किये गये हैं एवं परिसर की दिवारों पर वालपेंटिंग के माध्यम से पूजा सामग्री एवं फूल, पॉलीथीन बैग में परिसर में स्थित तालाबों में न फेंके जाने हेतु जन जागरूकता समय समय पर मुनादी के माध्यम से भी करायी जाती है। साथ ही साथ किसी भी जन सामान्य द्वारा उक्त कृत्य किये जाने पर अर्धदण्ड आरोपित कर वसूल किये जाने सम्बन्धी एवं दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु चेतावनी भी देते हेतु जागरूक किया जा रहा है।</p>
---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

नोट:- नगर पंचायत ज्ञानपुर, जनपद-भदोही सीमान्तर्गत कोई भी नदी एवं नहर प्रवाहित नहीं होती है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

सादर।

अधिसासी अधिकारी  
नगर पंचायत ज्ञानपुर  
अधिसासी अधिकारी  
नगर पंचायत ज्ञानपुर, भदोही।

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि-राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय राज्य मिशन निदेशालय, उ०प्र० की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अधिसासी अधिकारी  
नगर पंचायत ज्ञानपुर,  
जनपद- भदोही।

# कार्यालय: नगर निगम, आगरा

पत्रांक :- 57/D/EE/2024

दिनांक :- 11/03/2024

प्रेषक,

पर्यावरण अभियन्ता  
नगर निगम, आगरा।

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,  
UOPRO प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
आगरा।

विषय:-

MAO राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-793/2023 In Re : News item appearing in Hindustan date 07.12.2023 titled गंगा-यमुना पर भारी पड़ रहे आस्था के फूल, पॉलीथीन में भरकर पुलों से डाल रहे 25 किग्रा पॉलीथीन रोज में पारित ओदश दिनांक 15.01.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक स्वकीय कार्यालय के पत्र संख्या-2241/04-590/2024 दिनांक 29.02.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि आगरा नगरीय क्षेत्र में पूर्व में यमुना नदी के ऊपर बने अम्बेडकर पुल से पूजा सामग्री पॉलीथीन बैग में भरकर नदी में डाली जाती थी, जिस पर दोनों ओर जाली लगाकर इस कृत्य को पूर्णतया रोका गया है। साथ ही घाटों पर पूजा सामग्री एकत्र किए जाने हेतु टिचन बिनस एवं डम्पर प्लेसर बिन स्थापित है। नगर निगम द्वारा विगत 01 वर्ष में प्रतिबन्धित कैंरी बैग एवं सिंगल यूज प्लास्टिक के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण भी संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

स्वदीय,



11-03-24

(पंकज भूषण)

पर्यावरण अभियन्ता  
नगर निगम आगरा।

प्रतिलिपि:- अपर नगर आयुक्त महोदय को सादर अवलोकनार्थ।

पर्यावरण अभियन्ता  
नगर निगम आगरा।

वर्ष 2023-24 से नगर निगम आगरा द्वारा कृत कार्यवाही

01.04.2023 से 29.02.2024 तक

विभाग का नाम	जनपद	माह	जब्त किया गया सिंगल यूज प्लास्टिक/थर्माकोल जैसे कप-प्लेट चम्मच आदि		जब्त की गई पॉलीथीन		
			मात्रा किग्रा में	जुर्माना	मात्रा किग्रा में	जुर्माना	
आगरा नगर निगम	आगरा	अप्रैल 2023	65	41500.00	6	20500.00	
		मई 2023	57	300300.00	248	681000.00	
		जून 2023	303	403000.00	276	692500.00	
		जुलाई 2023	138.6	102000.00	419	240000.00	
		अगस्त 2023	477	296000.00	14	69000.00	
		सितम्बर 2023	4465	336000.00	309	55000.00	
		अक्टूबर 2023	135	125500.00	611	118250.00	
		नवम्बर 2023	116	106900.00	64.5	63000.00	
		दिसम्बर 2023	15532	284200.00	0	0	
		जनवरी 2024	4304	127500.00	6	5000.00	
		फरवरी 2024	229	167400.00	75	48000.00	
		कुल		25821.60	2290300.00	2028.50	1992250.00

12/6/24  
11.3.24  
E.E.

390



Phone :- 0121-2577676

Email id :- [romeerut@uppcb.in](mailto:romeerut@uppcb.in)

क्षेत्रीय कार्यालय  
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
पॉकेट-TC-3/2, पल्लवपुरम फेज-II, मोदीपुरम, मेरठ-250110

पत्रांक- 306/G/OA-793/MRT/2024

दिनांक- 24-6-24

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त-7),  
उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
लखनऊ।

विषय- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-793/2023 In re: News item appearing in Hindustan dated 07/12/2023 titled गंगा यमुना पर भारी पड़ रहे आस्था के फूल, पालीथीन में भरकर पुलों से डाल रहे 25 किग्रा0 पालीथीन रोज" में पारित आदेश दिनांक-18/03/2024 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक-एच11810/सी-7/ओए-793/2024 दिनांक-03/06/2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्कम में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-793/2023 In re: News item appearing in Hindustan dated 07/12/2023 titled गंगा यमुना पर भारी पड़ रहे आस्था के फूल, पालीथीन में भरकर पुलों से डाल रहे 25 किग्रा0 पालीथीन रोज" में पारित आदेश दिनांक-18/03/2024 के अनुपालन में संबंधित नगर निकायों यथा जनपद मेरठ के नगर पंचायत, हस्तिनापुर एवं जनपद बागपत के नगर पालिका परिषद, बागपत से अनुपालन आख्या प्राप्त हुयी है, जिसे पत्र के साथ संलग्नकर सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है। संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय

(भुवन प्रकाश यादव)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि- मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त-3), उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

MC

## कार्यालय नगर पालिका परिषद, बागपत

पत्रांक :- 336-/न0पा0परि0/2024-25

दिनांक :- 22/06/2024

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी  
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
पाकेट-टी,सी-3/2, पल्लवपुरम फेस-2,  
मोदीपुरम, मेरठ-250110 (उ0प्र0)

विषय :- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-793/2023 In re: News item appearing in Hindustan dated 07-12-2023 गंगा-यमुना पर भारी पड़ रहे आस्था के फूल, पॉलीथीन में भरकर पुलो से डाल रहे 25 किग्रा पॉलीथीन रोज" में पारित आदेश दिनांक 18.03.2024 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्रांक सं0-276/G/OA-793/MRT/2024 दिनांक 14.06.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमें माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-793/2023 In re: News item appearing in Hindustan dated 07-12-2023 गंगा-यमुना पर भारी पड़ रहे आस्था के फूल, पॉलीथीन में भरकर पुलो से डाल रहे 25 किग्रा पॉलीथीन रोज" के संबंध में सादर अवगत कराना है कि नगर पालिका परिषद, बागपत की सीमाक्षेत्र के अन्तर्गत यमुना नदी का जल प्रवाह नहीं है, यमुना नदी का जल प्रवाह वर्तमान समय में बागपत सीमाक्षेत्र के काफी दूर हरियाणा की सीमा में जल प्रवाह हो रहा है, एंवम बागपत के स्थानीय निवासियों द्वारा यमुना नदी के जल प्रवाह के पास फूल पॉलीथीन आदि नहीं फेंके जाते हैं। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि नगर पालिका परिषद, बागपत की सीमाक्षेत्र के अन्तर्गत यमुना नदी पर कोई पुल बना हुआ नहीं है साथ ही भारत सरकार द्वारा प्रतिबन्धित सिंगल यूज्ड प्लास्टिक एवं प्रतिबन्धित कैंरी बैग के उपयोग को रोके जाने हेतु नगर पालिका परिषद, बागपत के पत्र सं0 313/न0पा0परि0बा0/2024-25 दिनांक 15.06.2024 द्वारा दैनिक समाचार पत्र एवं दैनिक जनवाणी समाचार पत्र में विज्ञापन के माध्यम से आवश्यक सूचना प्रकाशित करायी गयी जो इस पत्र के साथ संलग्न है, तथा नगर पालिका परिषद, बागपत द्वारा नगर बागपत में प्रतिबन्धित सिंगल यूज्ड प्लास्टिक के प्रयोग पर रोक लगाने हेतु दुकानों पर दुकानदारों द्वारा पॉलीथीन का प्रयोग करने वालों के विरुद्ध पॉलीथीन जब्त करने एवं जुर्माना लगाने की कार्यवाही की जा रही है। "पॉलीथीन जब्त करने एवं जुर्माना लगाने के फोटो दिनांक 21.06.2024 संलग्न है" एवं नगर क्षेत्र बागपत में नागरिकों को पॉलीथीन का प्रयोग न करने हेतु जागरूक किया जा रहा है। सूचना आपकी सेवा में सादर प्रेषित है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

(M)  
डिप्टी कलेक्टर/अधिशाली अधिकारी  
नगर पालिका परिषद, बागपत

**कार्यालय नगर पालिका परिषद, बागपत**

पत्रांक 313/नं.पा.परि.सं.०/2024-25 दिनांक 15.06.2024

**आवश्यक सूचना**

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2018 व प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम 2021 व 3040 सरकारी मजदूद दिनांक 15 जुलाई 2018 तथा मिशन इन्डिया स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) तखनीज उपभोग के पत्र संख्या पीएनएस/6142/524/2020-21 दिनांक 20 जुलाई 2022 द्वारा जारी अधिसूचना के अनुपालन में नगर पालिका परिषद बागपत की सीमान्तगत प्रतिबन्धित प्लास्टिक एवं थर्मोकॉल के सामग्री के विनिर्माण, आयात, वितरण, बिक्री और उपयोग पर निम्नानुसार प्रतिबन्ध लागू है।

- 75 माइक्रोन से कम मोटाई के प्लास्टिक कैंरी पैग और पस्तू 30 दिसम्बर 2021 से प्रतिबन्धित है तथा 120 माइक्रोन से कम मोटाई के समस्त प्रकार की एकल उपयोग प्लास्टिक 31 दिसम्बर 2022 से पूर्णतः प्रतिबन्धित है।
- 01 जुलाई 2022 की तारीख से निम्नलिखित सामग्री प्रतिबन्धित है—
  - (1) पॉलीस्टाईरीन और विस्तारित पॉलीस्टाईरीन बस्तुओं सहित निम्न लिखित एकल प्रयोग प्लास्टिक वस्तुओं के विनिर्माण, आयात, भण्डारण, वितरण, बिक्री और उपयोग को पूर्णतः निषेध किया गया है।
  - (2) प्लास्टिक युक्त ईयर बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डबिया, प्लास्टिक के झण्डे, कैंडी स्टिक, आईक्रीम की डबिया, पॉलीस्टाईरीन (थर्मोकॉल) की सजावट सामग्री।
  - (3) जो कम्पॉस्टिंग योग्य न हो ऐसी प्लास्टिक से बनी प्लेटे कप, गिलास, कोट, रद्दी, डू, गिटाईये डिब्बे के इव गिर्व स्पेटने या पैक करने वाली किल्ले, निम्नलिखित काई और सिगरेट पैकेट, 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पॉलीथी वैनर ट्रे का भी 31 दिसम्बर 2022 से प्रयोग प्रतिबन्धित है।

इन सामग्रीों का विनिर्माण, आयात, भण्डारण, वितरण, बिक्री और उपयोग करना प्रतिबन्धित है। पाये जाने पर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध अधिसूचना द्वारा निर्धारित निम्नानुसार आर्थिक दण्ड/दण्ड की व्यवस्था की गयी है।

क्र.सं.	मात्रा	आर्थिक दण्ड/दण्ड
01	100 ग्राम तक	1000/- रुपये
02	101 से 500 ग्राम	2000/- रुपये
03	501 से 01 किलोग्राम	5000/- रुपये
04	01 किलोग्राम से 05 किलोग्राम	10,000/- रुपये
05	05 किलोग्राम से अधिक	25,000/- रुपये



अतः समस्त दुकानदारों/उपभोक्ताओं/उत्पादककर्ताओं आदि को आगाह किया जाता है कि, समस्त प्रकार की प्रतिबन्धित पॉलीथिन का प्रयोग शरकाल प्रभाव से बंद कर दे, अन्यथा जीव के दोहन नीके पर प्रतिबन्धित पॉलीथिन पाये जाने की दशा में आपके विरुद्ध उक्त तालिका अनुसार उपरोक्त जुर्माना वसूलने/दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

(मनीष कुमार यादव) (राधु दीन)



डिप्टी कलेक्टर/अधिसूचारी अभिकाशी  
नगर पालिका परिषद, बागपत

अध्यक्ष  
नगर पालिका परिषद, बागपत

नगर पालिका परिषद, बागपत द्वारा दिनांक 21.08.2024 को नगर बागपत के मुख्य बाजारों में पॉलीथीन  
जब्त करने एवं जुर्माना लगाने की कार्यवाही के फोटो।



नगर पालिका परिषद, बागपत द्वारा यमुना घाट पर रखे गये डस्टबीन के फोटो



  
 डिप्टी कलेक्टर/अधिशायी अधिकारी  
 नगर पालिका परिषद, बागपत

## कार्यालय नगर पंचायत हस्तिनापुर (मेरठ)

पत्रांक : 204/न0प0ह0/2024-25



दिनांक : 22/06/2024

सेवा में

क्षेत्रीय अधिकारी  
क्षेत्रीय कार्यालय  
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
पाकेटे- टी०सी-3/2 पल्लवपुरम फेस-2  
मोदीपुरम मेरठ-250110 (उ०प्र०)


विषय:-माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं० 793/2023 In re New item appearing in Hindustan date 07-12-2023 गंगा-यमुना पर भारी पड रहे आस्था के फूल पॉलीथीन में भरकर पुलों से डाल रहें 25 किग्रा पोलीथीन रोज में पारित आदेश दिनांक 18.03.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके के कार्यालय के पत्रांक संख्या 276/G/OA-793/MRT/2024 दिनांक 17.06.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमें माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ० ए०/2023 In re New item appearing in Hindustan 07-12-2023 गंगा-यमुना पर भारी पड रहे आस्था के फूल पॉलीथीन में भरकर पुलों से डाल रहें 25 किग्रा पोलीथीन रोज में पारित आदेश दिनांक 18.03.2024 के अनुपालन में अवगत करना है, कि नगर पंचायत हस्तिनापुर क्षेत्रान्तर्गत पोलीथीन का प्रयोग पूर्णतः वर्जित किया गया है। और समय-समय पर निकाय क्षेत्र में सिंगल यूज्ड प्लास्टिक के प्रतिबन्ध हेतू रैलिया,जागरूता अभियान चलाकर लोगों को पोलीथीन प्रयोग न करने हेतू जागरूक किया जाता है। तथा निकाय द्वारा समय-समय पर पोलीथीन जब्तीकरण अभियान चलाया जाता है। तथा गंगा घाट निकाय क्षेत्र से 12 किमी दूर है। तथा माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश के क्रम में निकाय से सम्बन्धित कोई हॉटस्पॉट (पुल घाट सहित) नहीं है। जहाँ से पोलीथीन में फूल एवं पूजा सामग्री नहीं फेंकी जाती है। जिस कारण गंगा नदी में भारत सरकार द्वारा प्रतिबन्धित सिंगल यूज्ड प्लास्टिक का उपयोग नहीं हो रहा है।

आख्या सादर सेवा में प्रेषित है।

  
अधिशासी अधिकारी  
नगर पंचायत हस्तिनापुर  
मेरठ





397

क्षेत्रीय कार्यालय  
उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
बी-18/3, आवास विकास कालोनी,  
उन्नाव

पत्रांक - 219 /सा०-43/2024

दिनांक - 22/06/2024

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7),  
उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
उन्नाव।

**विषय-मा० राष्ट्रीय हरित अधिकारी, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०-793/2023 In re : News item appering in Hindustan dated 07-12-2023 titled गंगा-यमुना पर भारी पड़ रहे आस्था के फूल, पॉलीथीन में भरकर पुलों से डाल रहे 25 किग्रा पॉलीथीन रोज" में पारित आदेश दिनांक 18.03.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्रांक-एच 11810/सी-7/ओ०ए०-793/2024 दिनांक 03.06.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से मा० राष्ट्रीय हरित अधिकारी, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०-793/2023 In re : News item appering in Hindustan dated 07-12-2023 titled गंगा-यमुना पर भारी पड़ रहे आस्था के फूल, पॉलीथीन में भरकर पुलों से डाल रहे 25 किग्रा पॉलीथीन रोज" में आदेश दिनांक 18.03.2024 एवं 15.01.2024 में पारित किये गये हैं। मा० अधिकरण द्वारा उक्त ओ०ए० में यमुना एवं गंगा नदियों के घाट पर पूजा सामग्री एवं फूल को पॉलीथीन बैग के साथ फेंके जाने के सम्बन्ध में स्थानीय निकायों द्वारा की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में आख्या प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में कार्यालय नगर पालिका परिषद गंगाघाट, उन्नाव के पत्रांक-3969/न०पा०प०गंगाघाट /2024-25 दिनांक 21.06.2024 (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से सूचित किया गया है कि नगर निकाय गंगाघाट क्षेत्रान्तर्गत नवीन गंगा ब्रिज के प्रारम्भ में जाली युक्त समर्पण कक्ष निर्मित है जिसमें गंगा पुल से आने-जाने वाले व्यक्तियों द्वारा आस्था के फूल इत्यादि रक्षित किये जाते हैं जिन्हे निकाय वाहन के माध्यम से एम०आर०एफ० सेंटर में संग्रीगेशन हेतु ले जाया जाता है, साथ ही गंगा जी के तटीय भागों में पूजा सामग्री एवं फूल इत्यादि को नदी में प्रवाहित किया जाना निषिद्ध व नियमानुसार जुर्माना हेतु सचेत किया जाना अंकित है। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय सफाई प्रभारी/नायकों के माध्यम से गंगा पुल अथवा तटीय भाग में पालीथीन अथवा सामग्री नदी में प्रवाहित किये जाने पर रोक एवं जुर्माना हेतु समस्त को सचेत किया जाता है। निकाय द्वारा एक प्रथक वाहन नियमित रूप से नगर के मंदिरों व गंगा नदी के पास "समर्पण स्थल" गंगा के तटीय भागों से पूजन सामग्री, फूल इत्यादि संगृहीत कर रही है। निकाय क्षेत्रान्तर्गत गंगा नदी में पालीथीन व फूल इत्यादि प्रवाहित करने पर प्रतिबन्ध है। भविष्य में निकाय गंगा पुल पर दोनों तरफ 06 फुट तक जाली स्थापन हेतु विचार प्रगति पर है। उक्त के अतिरिक्त सिंगल यूज प्लास्टिक के सम्बन्ध में चलाये गये अभियानों की तिथि, जब्त की गयी मात्रा तथा अधिरोपित जुर्माना सम्बन्धी कार्यक्रम विवरण पत्र के साथ संलग्नकर प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,  
  
(डा० ए०के० माथुर)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:- मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-5), उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी



398

क्षेत्रीय कार्यालय  
उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
बी-18/3, आवास विकास कालोनी,  
उन्नाव

पत्रांक - 219 / सा०-43 / 2024

दिनांक - 22/06/2024

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7),  
उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
उन्नाव।

**विषय-मा० राष्ट्रीय हरित अधिकारी, नई दिल्ली द्वारा ओ० ए० सं०-793/2023 In re : News item appering in Hindustan dated 07-12-2023 titled गंगा-यमुना पर भारी पड़ रहे आस्था के फूल, पॉलीथीन में भरकर पुलों से डाल रहे 25 किग्रा पॉलीथीन रोज" में पारित आदेश दिनांक 18.03.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्रांक-एच 11810/सी-7/ओ० ए०-793/2024 दिनांक 03.06.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से मा० राष्ट्रीय हरित अधिकारी, नई दिल्ली द्वारा ओ० ए० सं०-793/2023 In re : News item appering in Hindustan dated 07-12-2023 titled गंगा-यमुना पर भारी पड़ रहे आस्था के फूल, पॉलीथीन में भरकर पुलों से डाल रहे 25 किग्रा पॉलीथीन रोज" में आदेश दिनांक 18.03.2024 एवं 15.01.2024 में पारित किये गये हैं। मा० अधिकरण द्वारा उक्त ओ० ए० में यमुना एवं गंगा नदियों के घाट पर पूजा सामग्री एवं फूल को पॉलीथीन बैग के साथ फेंके जाने के सम्बन्ध में स्थानीय निकायों द्वारा की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में आख्या प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में कार्यालय नगर पालिका परिषद गंगाघाट, उन्नाव के पत्रांक-3969/न० पा० प० गंगाघाट /2024-25 दिनांक 21.06.2024 (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से सूचित किया गया है कि नगर निकाय गंगाघाट क्षेत्रान्तर्गत नवीन गंगा ब्रिज के प्रारम्भ में जाली युक्त समर्पण कक्ष निर्मित है जिसमें गंगा पुल से आने-जाने वाले व्यक्तियों द्वारा आस्था के फूल इत्यादि रक्षित किये जाते हैं जिन्हे निकाय वाहन के माध्यम से एम० आर० एफ० सेंटर में संग्रहीत हेतु ले जाया जाता है, साथ ही गंगा जी के तटीय भागों में पूजा सामग्री एवं फूल इत्यादि को नदी में प्रवाहित किया जाना निषिद्ध व नियमानुसार जुर्माना हेतु सचेत किया जाना अंकित है। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय सफाई प्रभारी/नायकों के माध्यम से गंगा पुल अथवा तटीय भाग में पालीथीन अथवा सामग्री नदी में प्रवाहित किये जाने पर रोक एवं जुर्माना हेतु समस्त को सचेत किया जाता है। निकाय द्वारा एक प्रथक वाहन नियमित रूप से नगर के मंदिरो व गंगा नदी के पास "समर्पण स्थल" गंगा के तटीय भागों से पूजन सामग्री, फूल इत्यादि संगृहीत कर रही है। निकाय क्षेत्रान्तर्गत गंगा नदी में पालीथीन व फूल इत्यादि प्रवाहित करने पर प्रतिबन्ध है। भविष्य में निकाय गंगा पुल पर दोनो तरफ 06 फुट तक जाली स्थापन हेतु विचार प्रगति पर है। उक्त के अतिरिक्त सिंगल यूज प्लास्टिक के सम्बन्ध में चलाये गये अभियानों की तिथि, जब्त की गयी मात्रा तथा अधिरोपित जुर्माना सम्बन्धी कार्यक्रम विवरण पत्र के साथ संलग्नकर प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डा० ए० के० माथुर)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:- मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-5), उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी



# कार्यालय नगर पालिका परिषद गंगाघाट, उन्नाव

पत्रांक:-3969 / न0पा0प0गंगाघाट / 2024-25

दिनांक:21.06.2024

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,  
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
उन्नाव।

महोदय,

कृपया सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड-लखनऊ के पत्र सं0:- एच118/सी0-7/0ए No-793/24 दिनांक 03.06.2024 का सन्दर्भ गृहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-793/2023 In re " New item appearing in Hindustan dated 07-12-2023 titled गंगा-यमुना पर भारी पड़ रहे आस्था के फूल, पॉलीथीन में भरकर पुलों से डाल रहे 25 किग्रा पॉलीथीन रोज" में पारित आदेश दिनांक 15.01.2024 के अनुपालन में कृत कार्यवाही अथवा प्रस्तावित कार्ययोजना उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि नगर निकाय गंगाघाट द्वारा प्रश्नगत पत्र के अनुपालन में सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड-लखनऊ को सम्बोधित व अन्य को पृष्ठांकित पत्र सं0-3950/न0पा0प0गंगाघाट/2024-25 दिनांक 14.06.2024 (संलग्न) प्रेषित करते हुये कृत/प्रस्तावित कार्यवाही से अवगत कराया गया है। कृपया प्रश्नगत प्रेषित पत्र संलग्न करते हुये अनुरोध है कि कृपया तदनुसार अवगत होने का कष्ट करें।

संलग्न:-उक्तवत्।

अधिसूचना अधिकारी  
नगर पालिका परिषद गंगाघाट  
उन्नाव।

स्वच्छ गंगाघाट



सुन्दर गंगाघाट



## कार्यालय नगर पालिका परिषद गंगाघाट, उन्नाव

पत्रांक: 3950/न0पा0प0गंगाघाट/2024-25

दिनांक: 14.06.2024

सेवा में,

सदस्य सचिव,  
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
लखनऊ।

कृपया अपने पत्र सं०:-एच118/सी0-7/0ए No-793/24 दिनांक 03.06.2024 का सन्दर्भ गृहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं०-793/2023 In re " New item appearing in Hindustan dated 07-12-2023 titled गंगा-यमुना पर भारी पड़ रहे आस्था के फूल, पॉलीथीन में भरकर पुलों से डाल रहे 25 किग्रा पॉलीथीन रोज" में पारित आदेश दिनांक 15.01.2024 के अनुपालन में कृत कार्यवाही अथवा प्रस्तावित कार्ययोजना उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि नगर निकाय गंगाघाट क्षेत्रान्तर्गत नवीन गंगा ब्रिज के प्रारम्भ में जाली युक्त समर्पण कक्ष निर्मित है जिसमें गंगा पुल से आने जाने वाले व्यक्तियों द्वारा आस्था के फूल इत्यादि रक्षित किये जाते हैं जिन्हे निकाय वाहन के माध्यम से एम0आर0एफ0 सेण्टर में सेग्रीगेशन हेतु ले जाया जाता है, साथ ही गंगा जी के तटीय भागों में पूजा सामग्री एवं फूल इत्यादि को नदी में प्रवाहित किया जाना निषिद्ध व नियमानुसार जुर्माना हेतु सचेत किया गया अंकित है। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय सफाई प्रभारी/नायकों के माध्यम से गंगा पुल अथवा तटीय भाग में पालीथीन अथवा सामग्री नदी में प्रवाहित किये जाने पर रोक एवं जर्माना हेतु समस्त को सचेत किया जाता है। निकाय द्वारा एक प्रथक वाहन नियमित रूप से नगर के मंदिरों व गंगा नदी के पास " समर्पण स्थल" गंगा के तटीय भागों से पूजन सामग्री, फूल इत्यादि संगृहीत कर रही है। निकाय क्षेत्रान्तर्गत गंगा नदी में पालीथीन व फूल इत्यादि प्रवाहित करने पर प्रतिबन्ध है। भविष्य में निकाय गंगा पुल पर दोनो तरफ 06 फुट तक जाली स्थापन हेतु विचार प्रगति पर है। कृपया परोक्तानुसार स्वीकार करने का कष्ट करें।

अधिसाषी अधिकारी  
नगर पालिका परिषद गंगाघाट  
उन्नाव।

पत्रांक एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:-

1. सचिव महोदय, नगर विकास अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ।
2. राज्य मिशन निदेशक महोदय, एस0बी0एम0 नगरीय, राज्य मिशन निदेशालय उ0प्र0 को सादर अवलोकनार्थ।
3. अपर जिलाधिकारी (न्यायिक)/प्रभारी अधिकारी महोदय, स्थानीय निकाय-उन्नाव को उपरोक्तानुसार सादर अवलोकनार्थ।
4. मण्डल कार्यक्रम प्रबन्धक एवं जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एस0बी0एम0 नगरीय को इस आशय से कि संकलित सूचना निदेशक/राज्य मिशन निदेशक महोदय, एस0बी0एम0 नगरीय, को प्रेषित करने का कष्ट करें।

अधिसाषी अधिकारी  
नगर पालिका परिषद गंगाघाट  
उन्नाव।

**Uttar Pradesh Pollution Control Board, Unnao**

S. No.	Name of Regional Office	Type of Awareness program (rally/meeting/debate/street play etc.)	Location and Date of Awareness program	Dates of carrying out prohibitory inspections	Total quantity of seized and penalty imposed
1	Unnao	Street Play	Location:- Sabji Mandi Bada Chauraha, Bus Stand, Unnao. Date-26.04.2024	Shri R.K Mishra, SSA (CPCB) Shri Om Prakash AEE. (UPPCB) and Representative of ULB.	Quantity-12.0 Kg Penalty-6000/-
2		Street Play	Location:- Munemiya Chauraha, Railwayganj Hardoi. Date-20.06.2024	Shri R.K Mishra, SSA (CPCB) Shri B.S Dwivedi, MA (UPPCB) and Representative of ULB.	Quantity-2.0 Kg Penalty-6000/-

*[Signature]*  
Date 4-5-24

*[Signature]*  
R.O.

**402**  
**कार्यालय नगर पंचायत जलाली, अलीगढ़।**

पत्रांक— 4/16 / न0पं0जलाली / 2023-24

दिनांक 04 मार्च, 2024

सेवा में,

श्रीमान राज्य मिशन निदेशक महोदय,  
स्वच्छ भारत मिशन—नगरीय उ0प्र0,  
सेक्टर -7 गोमती नगर विस्तारए लखनऊ।

**विषय- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०-793/2023 In re "New item appearing in Hindustan dated 07-12-2023 titled गंगा-यमुना पर भारी पड़ रहे आस्था के फूल, पॉलीथिन में भरकर पुलों से डाल रहे 25 किग्रा पॉलीथिन रोज" में पारित आदेश दिनांक 15.01.2024 के अनुपालन के संबंध में।**

सेवा में,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक PMU/10024/429(13)/2024 लखनऊ, दिनांक 04 मार्च, 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमें मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०-793/2023 In re "New item appearing in Hindustan dated 07-12-2023 titled गंगा-यमुना पर भारी पड़ रहे आस्था के फूल, पॉलीथिन में भरकर पुलों से डाल रहे 25 किग्रा पॉलीथिन रोज" में पारित आदेश दिनांक 15.01.2024 के अनुपालन कर सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के अनुपालन में सादर अवगत कराना है कि नगर पंचायत जलाली, अलीगढ़ की सीमान्तर्गत में कोई भी नदी/नहर नहीं है जिसमें की फूल आदि डाले जाते हो। निकाय में स्थिति सभी नालों पर जाली/स्क्रीन लगायी जा चुकी है तथा 2 नालों को सीमेन्ट के स्लेब द्वारा ढका जा चुका है। महोदय यह भी अवगत कराना है कि नगर पंचायत जलाली, अलीगढ़ में प्रतिबन्धित पॉलीथिन का उपयोग/विक्रय/भण्डारण आदि पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित एवं दण्डनीय है।

अतः महोदय नगर पंचायत जलाली, अलीगढ़ के चाही गयी सूचना दिये गये प्रारूप पर तैयार कर आपकी सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

  
अधिसासी अधिकारी  
नगर पंचायत जलाली  
अलीगढ़।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. श्रीमान सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ, उ0प्र0।

02. श्रीमान सचिव महोदय, नगर विकास अनुभाग—5 उ0प्र0 शासन लखनऊ, उ0प्र0।

अधिसासी अधिकारी  
नगर पंचायत जलाली  
अलीगढ़।

कार्यालय नगर पंचायत जलाली, अलीगढ़।

पत्रांक- 416 / न0प0जलाली / 2023-24

दिनांक 04 मार्च, 2024

सेवा में,

श्रीमान राज्य मिशन निदेशक महोदय,  
स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय उ0प्र0,  
सेक्टर -7 गोमती नगर विस्तारए लखनऊ।

विषय- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०-793/2023 In re "New item appearing in Hindustan dated 07-12-2023 titled गंगा-यमुना पर भारी पड़ रहे आस्था के फूल, पॉलीथिन में भरकर पुलों से डाल रहे 25 किग्रा पॉलीथिन रोज" में पारित आदेश दिनांक 15.01.2024 के अनुपालन के संबंध में।

सेवा में,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक PMU / 10024 / 429(13) / 2024 लखनऊ, दिनांक 04 मार्च, 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमें मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०-793/2023 In re "New item appearing in Hindustan dated 07-12-2023 titled गंगा-यमुना पर भारी पड़ रहे आस्था के फूल, पॉलीथिन में भरकर पुलों से डाल रहे 25 किग्रा पॉलीथिन रोज" में पारित आदेश दिनांक 15.01.2024 के अनुपालन कर सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के अनुपालन में सादर अवगत कराना है कि नगर पंचायत जलाली, अलीगढ़ की सीमान्तर्गत में कोई भी नदी/नहर नहीं है जिसमें की फूल आदि डाले जाते हो। निकाय में स्थिति सभी नालों पर जाली/स्क्रीन लगायी जा चुकी है तथा 2 नालों को सीमेन्ट के स्लेब द्वारा ढका जा चुका है। महोदय यह भी अवगत कराना है कि नगर पंचायत जलाली, अलीगढ़ में प्रतिबन्धित पॉलीथिन का उपयोग/विक्रय/भण्डारण आदि पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित एवं दण्डनीय है।

अतः महोदय नगर पंचायत जलाली, अलीगढ़ के चाही गयी सूचना दिये गये प्रारूप पर तैयार कर आपकी सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

अधिसासी अधिकारी  
नगर पंचायत जलाली  
अलीगढ़।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. श्रीमान सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ, उ0प्र0।

02. श्रीमान सचिव महोदय, नगर विकास अनुभाग-5 उ0प्र0 शासन लखनऊ, उ0प्र0।

अधिसासी अधिकारी  
नगर पंचायत जलाली  
अलीगढ़

कार्यालय नगर पंचायत जलाली, अलीगढ़।

पत्रांक- 416 / न0प0जलाली / 2023-24

दिनांक 04 मार्च, 2024

सेवा में,

श्रीमान राज्य मिशन निदेशक महोदय,  
स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय उ0प्र0,  
सेक्टर -7 गोमती नगर विस्तारए लखनऊ।

विषय- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०-793/2023 In re "New item appearing in Hindustan dated 07-12-2023 titled गंगा-यमुना पर भारी पड़ रहे आस्था के फूल, पॉलीथीन में भरकर पुलों से डाल रहे 25 किग्रा पॉलीथीन रोज" में पारित आदेश दिनांक 15.01.2024 के अनुपालन के संबंध में।

सेवा में,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक PMU / 10024 / 429(13) / 2024 लखनऊ, दिनांक 04 मार्च, 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमें मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०-793/2023 In re "New item appearing in Hindustan dated 07-12-2023 titled गंगा-यमुना पर भारी पड़ रहे आस्था के फूल, पॉलीथीन में भरकर पुलों से डाल रहे 25 किग्रा पॉलीथीन रोज" में पारित आदेश दिनांक 15.01.2024 के अनुपालन कर सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के अनुपालन में सादर अवगत कराना है कि नगर पंचायत जलाली, अलीगढ़ की सीमान्तर्गत में कोई भी नदी/नहर नहीं है जिसमें की फूल आदि डाले जाते हो। निकाय में स्थिति सभी नालों पर जाली/स्क्रीन लगायी जा चुकी है तथा 2 नालों को सीमेन्ट के स्लेब द्वारा ढका जा चुका है। महोदय यह भी अवगत कराना है कि नगर पंचायत जलाली, अलीगढ़ में प्रतिबन्धित पॉलीथिन का उपयोग/विक्रय/भण्डारण आदि पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित एवं दण्डनीय है।

अतः महोदय नगर पंचायत जलाली, अलीगढ़ के चाही गयी सूचना दिये गये प्रारूप पर तैयार कर आपकी सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

अधिसासी अधिकारी  
नगर पंचायत जलाली  
अलीगढ़।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. श्रीमान सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ, उ0प्र0।

02. श्रीमान सचिव महोदय, नगर विकास अनुभाग-5 उ0प्र0 शासन लखनऊ, उ0प्र0।

अधिसासी अधिकारी  
नगर पंचायत जलाली  
अलीगढ़

**कार्यालय नगर पंचायत जलाली, अलीगढ़।**  
निकाय में स्थित नालों की सफाई की स्थिति

जनपद का नाम—अलीगढ़।


क्र०सं०	नगर निकाय का नाम	नाले / ड्रेनेज का नाम	जलयीय प्रणाली (नदी / झील / तालाब / वेटलेन्ड) का नाम जिसमें नाला मिलता है।	दंष्ट्रिग हेतु बार स्क्रीन / जाली लगाये जाने की स्थिति है अथवा नहीं।	किस तिथि तक बार स्क्रीन / जाली लगाकर दंष्ट्रिग कर दी जायेगी।
1	नगर पंचायत जलाली	जिला पंचायत (बड़ा नाला)	श्रीशा वाला वेटलेन्ड	जाली लगायी जा चुकी है।	-
2		होशीलाल की दुकान से बड़े नाले तक	जिला पंचायत (बड़ा नाला)	सीमेन्ट की स्लेब से ढका जा चुका है।	-
3		अम्बेडकार पार्क बस स्टैण्ड से बड़े नाले तक	जिला पंचायत (बड़ा नाला)	सीमेन्ट की स्लेब से ढका जा चुका है।	-
4		गिरिराज के घर खिटकासी रोड़ से अल्लानूर की दुकान तक	अम्बेडकार पार्क बस स्टैण्ड नाले में	जाली लगायी जा चुकी है।	-
5		अम्बेडकार पार्क मौ० गढी से बड़े नाले तक	जिला पंचायत (बड़ा नाला)	जाली लगायी जा चुकी है।	-
6		नगर पंचायत कार्यालय से बड़े नाले तक	जिला पंचायत (बड़ा नाला)	जाली लगायी जा चुकी है।	-
8		मानपल के घर से पोखर तक बहादुरगढी	जिला पंचायत (बड़ा नाला)	जाली लगायी जा चुकी है।	-
9		चमन नेता जी के घर से बस स्टैण्ड तक	अम्बेडकार पार्क बस स्टैण्ड नाले में	जाली लगायी जा चुकी है।	-
10		बहादुर माली की दुकान से बस स्टैण्ड तक	अम्बेडकार पार्क बस स्टैण्ड नाले में	जाली लगायी जा चुकी है।	-

405

  
 अधिशासी अधिकारी  
 नगर पंचायत जलाली  
 अलीगढ़।  
 नगर पंचायत जलाली  
 अलीगढ़



Latitude: 27.859387  
Longitude: 78.25363  
Elevation: 215.87429 m  
Accuracy: 4.2 m  
Time: 19-06-2022 13:43  
Note: Z



Latitude: 27.855894  
Longitude: 78.250673  
Elevation: 185.66436 m  
Accuracy: 18.9 m  
Time: 24-06-2022 14:47  
Note: Z



Latitude: 27.855885  
Longitude: 78.250386  
Elevation: 185.66436 m  
Accuracy: 61.1 m  
Time: 24-06-2022 15:57  
Note: Z

अध्यासना अधिका  
सोड प्रवासा सेवा  
0188